रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.पी.-अ.-30032021-226227 CG-AP-E-30032021-226227

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखपट्टणम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2021

फा. सं. 34-1/2021-टीएस.वी.—भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 33) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखपट्टणम का शासी मंडल इस प्रकार निम्नलिखित विनियम बनाता है: -

- संक्षिप्त नाम और शुरूआत- (1) इन नियमों को भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखपट्टणम विनियम, 2021 कहा जा सकता है।
 (2) ये शासी मंडल द्वारा निर्धारित तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं- (1) इन प्रथम नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017;
 - (ख) "प्राधिकरण", "अधिकारी" और "संकाय" ("सहायक प्रोफेसर", "एसोसिएट प्रोफेसर", "प्रोफेसर" और अभ्यासी संकाय) का अर्थ क्रमशः संस्थान के प्राधिकारियों, अधिकारियों और संकाय से है:
 - (ग) "शासी मंडल द्वारा मनोनीत समिति" या "बीओजीएनसी" का अर्थ है, नियमानुसार संस्थान के शासी मंडल द्वारा मनोनीत समिति:
 - (घ) "भवन निर्माण और कार्य समिति" या "बीडब्ल्यूसी" का अर्थ संस्थान के बोर्ड द्वारा गठित भवन निर्माण और कार्य समिति है:
 - (ङ) "मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी" का अर्थ संस्थान का मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी है, जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया हो
 - (च) "पाठ्यक्रम" का मतलब है संस्थान द्वारा प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार अध्ययन के कार्यक्रम या विषय;
 - (छ) "डीन (ए और आर)" का मतलब है संस्थान के डीन (शिक्षा और अनुसंधान);

1838 GI/2021 (1)

- (ज) "डीन (ए और एसए)" का मतलब है संस्थान के डीन (प्रशासन और छात्र मामले);
- (झ) "संकाय आवेदन जाँच समिति" या "एफएएससी" का अर्थ है बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार निदेशक द्वारा गठित संकाय आवेदन जाँच समिति
- (ञ) "संकाय संगोष्ठी मूल्यांकन समिति" या "एफएसएसी" का अर्थ है बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार निदेशक द्वारा गठित संकाय संगोष्ठी मूल्यांकन समिति;
- (ट) "संकाय साक्षात्कार समिति" या "एफआईसी" का अर्थ है बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार निदेशक द्वारा गठित संकाय साक्षात्कार समिति:
- (ठ) "संकाय विकास और मूल्यांकन समिति" या "एफडीईसी" का मतलब है बोर्ड द्वारा अनुमोदित संकाय विकास और मूल्यांकन समिति;
- (ड) "वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति" या "एफआईएसी" का मतलब है बोर्ड द्वारा गठित वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति:
- (ढ) "सरकार" का अर्थ है केंद्र सरकार या भारत सरकार;
- (ण) "मानव संसाधन समिति" या "एचआर" समिति का मतलब है संस्थान के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों के इन नियमों के अनुसार निदेशक द्वारा गठित मानव संसाधन समिति;
- (त) "मानव संसाधन विकास समिति" या "एचआरडीसी" का अर्थ है बोर्ड द्वारा अपनी उप-समिति के रूप में गठित मानव संसाधन विकास समिति;
- (थ) "संस्थान" का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 (1) की अनुसूची के क्रम संख्या (17) के स्तंभ (5) के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखपट्टणम;
- (द) "आंतरिक लेखा परीक्षा समिति" का अर्थ है निदेशक द्वारा गठित आंतरिक लेखा परीक्षा समिति;
- (ध) "शिक्षा मंत्रालय" या "एमओई" का अर्थ है भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय;
- (न) "कार्यक्रम" या "प्रोग्राम" का अर्थ संस्थान के डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या इस तरह के अकादिमक-शीर्षक-अनुदान कार्यक्रम है:
- (त) "अध्यादेश" का अर्थ संस्थान की शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्मित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अध्यादेश है;
- (प) "अनुसंधान और अकादिमक सलाहकार सिमिति" या "आरएएसी" का अर्थ है बोर्ड द्वारा अपनी उप-सिमिति के रूप में गठित अनुसंधान और अकादिमिक सलाहकार सिमिति;
- (फ) "नियमों" का अर्थ है भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018;
- (ब) "बोर्ड के सचिव" का अर्थ है संस्थान के शासी मंडल के सचिव;
- (भ) "परिकल्पना, नवाचार एवं रणनीतिक परिवर्तन समिति" या "वीआईएसटीएसी" का अर्थ है बोर्ड द्वारा अपनी उप-समिति के रूप में गठित परिकल्पना, नवाचार एवं रणनीतिक परिवर्तन समिति।
- (2) यहाँ पर प्रयुक्त शब्द और भाव जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन जिन्हें अधिनियम या नियमों में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमशः वही होगा, जैसा कि उन्हें अधिनियम या नियमों में बताया गया है।

3. बोर्ड में चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मनोनयन का अनुभव और तरीका-

- (1) सामान्य तौर पर शासी मंडल द्वारा मनोनीत समिति का गठन बोर्ड में किसी भी रिक्ति के उत्पन्न होने से दो महीने पहले किया जाएगा;
- (2) समिति सदस्यता के लिए ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पहचान करेगी, जिन्होंने खुद को प्रतिष्ठित किया है और जिन्हें शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक सेवा या सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव प्राप्त है;
- (3) सिमिति प्रत्येक रिक्ति के लिए बोर्ड को न्यूनतम दो नामों की सिफारिश कर सकती है;
- (4) बोर्ड के अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं;
- (5) सिमति के सभी निर्णय और आदेश सिमति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे;
- (6) बोर्ड की बैठकों के लिए लागू होने वाली प्रक्रिया और बैठक के कार्यवृत्त की तैयारी और पृष्टि से संबंधित प्रक्रियाएं इस समिति की बैठकों पर भी लागू होंगी;

- (7) सामान्य तौर पर, समिति की बैठक के लिए सूचना की अवधि एक सप्ताह की होगी;
- (8) समिति की बैठकों का कार्यवृत्त या समिति के प्रस्तावों को, ध्यानार्थ, अनुसमर्थन या विचारार्थ, जैसा भी मामला हो, के लिए बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाएगा;
- (9) बोर्ड किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की रिक्ति को भरने के लिए समिति द्वारा अनुशंसित सूची में से सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। व्यापक विकल्प के लिए बोर्ड समिति से सूची को पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः तैयार करने का अनुरोध भी कर सकता है;
- (10) बोर्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

4. संकाय सदस्यों को बोर्ड में मनोनीत करने का तरीका -

(1) नामांकन की पात्रताः

- (क) बोर्ड में मनोनयन के लिए पात्र संकाय सदस्य की आयु कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिए;
- (ख) उसका संस्थान में काम के सभी चार पहलुओं, अर्थात् शिक्षण, अनुसंधान, पेशे की सेवा और संस्थान की सेवा में अच्छा योगदान होना चाहिए;
- (ग) उसे कम से कम पांच साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, संस्थान में शामिल होने से पहले के अनुभव सहित;
- (घ) उसके पास एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, परिपक्वता प्रदर्शित होना चाहिए, और नेतृत्व के गुण होने चाहिए;
- (ङ) रिक्ति की तारीख पर, संस्थान में उसकी सेवा के कम से कम दो वर्ष शेष होना चाहिए;
- (च) सामान्य रूप से, मनोनयन के लिए विचार करने वाले संकाय सदस्य केवल भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखपट्टणम के होंगे। लेकिन, संरक्षक संस्थान के संकाय सदस्यों के चयन के मामले में (जैसा कि नियमों के तहत प्रावधान है), उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले संभावित उम्मीदवारों की सूची पर संरक्षक संस्थान के निदेशक की सिफारिशें मांगी जा सकती हैं।

(2) मनोनयन की प्रक्रिया:

- (क) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ई) के तहत बोर्ड के संकाय सदस्यों का मनोनयन निदेशक द्वारा शुरू किया जाएगा, सामान्य तौर पर नियुक्ति की अविध के पूरा होने पर या रिक्ति होने से तीन महीने पहले;
- (ख) यदि पद त्याग-पत्र या अन्य अप्रत्याशित कारणों से रिक्त होता है, तो निदेशक रिक्ति होने की तारीख से एक महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू करेगा;
- (ग) प्रत्येक रिक्ति के लिए, मानदंडों को पूरा करने वाले कम से कम दो संभावित उम्मीदवारों के नाम निदेशक द्वारा सझाए जाएंगे. औचित्य के साथ:
- (घ) निदेशक अपनी सिफारिशों पर पहुंचने के लिए अतीत या वर्तमान डीन, संस्थान या संरक्षक संस्थान के क्षेत्र या गतिविधि अध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं;
- (ङ) इसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड में ऐसे संकाय सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जिन्हें वे, उपयुक्तता और मानदण्डों की संतुष्ट करने के उपरांत, उचित समझें;
- (च) बोर्ड के संकाय सदस्यों को सामान्य प्रक्रिया का पालन करके लगातार दूसरी बार मनोनीत किया जा सकता है;
- (छ) किसी संकाय सदस्य को विनियमों के नियम 4 के उप-नियम 5 के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के आधार पर बोर्ड से हटाया जा सकता है।

(3) प्रतिनिधित्व:

बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

5. बोर्ड की बैठकों के संचालन के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या और प्रक्रियाएं।

- (1) बोर्ड की बैठकों को अध्यक्ष द्वारा बुलाएगा जो प्रत्येक तीन महीने में एक बार होंगी। बैठक की तारीख, उसका स्थान और अजेंडा अध्यक्ष तय करेगा।
- (2) सामान्य तौर पर, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना कम से कम पंद्रह दिन पहले दी जाएगी और, बैठक के बाद जितनी जल्दी हो सके, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अध्यक्ष को और, उनकी मंजूरी पर, अन्य सदस्यों को प्रेषित की जाएगी।

- (3) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा, और किसी भी बैठक से उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्य द्वारा, की जाएगी।
- (4) आपातकाल या तत्काल विचार-विमर्श की आवश्यकता वाले विशेष मुद्दे के मामले में, अध्यक्ष अल्पावधिक सूचना देकर असाधारण बैठक बुला सकते हैं।
- (5) बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम (अध्यक्ष सहित) वास्तव में बैठक बुलाने की तिथि पर बोर्ड में उपस्थित सदस्यों की संख्या का आधा होगा, जिसे अगली संख्या तक पूर्णांकित किया जा सकेगा।
- (6) कोरम में शारीरिक उपस्थिति या ऑडियो या वीडियो लिंक द्वारा भागीदारी शामिल होगी।
- (7) यदि कोई बैठक कोरम की अपर्याप्तता के कारण स्थगित कर दी जाती है, तो इसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किसी अन्य दिन और अन्य समय और अन्य स्थान पर आयोजित किया जा सकता है, और अगर इस तरह की बैठक में, बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे पहले तक, यदि कोरम मौजूद नहीं है, तो उपस्थित सदस्य ही पर्याप्त कोरम माने जाएंगे।
- (8) परिसंचरण द्वारा किसी भी प्रस्ताव को अपनाने या किसी भी मुद्दे के लिए स्वीकृति प्रदान करने का कोरम व्यक्तिगत बैठकों के लिए आवश्यक संख्या से एक सदस्य अधिक होगा।
- (9) सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय मान्य होगी।
- (10) अध्यक्ष सिहत बोर्ड के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट का अधिकार होगा और बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी मुद्दे पर वोटों की समानता होने पर, अध्यक्ष को इसके अलावा एक अतिरिक्त वोट डालने का अधिकार होगा।
- (11) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- 6. बोर्ड के आदेशों और निर्णयों के प्रमाणीकरण और उसके रिकॉर्ड के रखरखाव का तरीका- (1) बोर्ड के सभी आदेशों और निर्णयों को बोर्ड के सचिव या निदेशक या बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
 - (2) बोर्ड के सचिव या निदेशक, या बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से या पृथक रूप से संस्थान के डेटा, रिकॉर्ड, सार्वमुद्रा, धन और संस्थान की किसी भी अन्य संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा।
- 7. बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों को देय भत्ते- (1) मौजूदा संस्थान की स्थापना की तारीख से पांच साल की अविध के लिए, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए, शासी मंडल के सदस्यों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।
 - (2) बैठकों में भाग लेने वाले बोर्ड के सदस्य व्यावसायिक श्रेणी की हवाई यात्रा (या व्यावसायिक श्रेणी यात्रा के खर्च तक सीमित कोई अन्य माध्यम) और आतिथ्य सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र होंगे।
 - (3) घोषणा के आधार पर, सदस्य आकस्मिक व्यय के भुगतान और जेब से किए गए खर्च के पुर्नभुगतान के लिए भी पात्र होंगे।
- 8. अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले से सेवारत कर्मचारियों का कार्यकाल, पारिश्रमिक और नियम और शर्तें।- (1) सेवा संस्थान में कर्मचारियों के कार्यकाल, पारिश्रमिक और नियम और शर्तें, संरक्षक संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर के मानदंडों के अनुसार होंगे या जारी रहेंगे।
 - (2) इन विनियमों के लागू होने से ठीक पहले संस्थान द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति संस्थान में अपने कार्यालय या सेवा को, अपने तय कार्यकाल, पारिश्रमिक पर और तय नियम और शर्तों के साथ और तय अधिकार और विशेषाधिकार जैसे अवकाश, उपदान पर उसी तरह जारी रखेगा जैसा कि वो इस विनियमन के लागू न होने पर करता, और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक उसके रोजगार की अवधि समाप्त नहीं हो जाता, या जब तक इन नियमों के अनुसार नियुक्ति की इस प्रक्रिया के तहत ऐसे कार्यकाल, पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों में बदलाव नहीं किया जाता है।
- 9. शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों के कर्मचारियों की संख्या, परिलब्धियाँ, कर्तव्य और सेवाओं की शर्तें (1) संकाय (शिक्षण-कर्मचारी) की भर्ती, सभी लंबी अविध के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए हर दस छात्रों पर एक संकाय के अनुपात में होगी। उस परिधि के भीतर, नियमित या फ्लेक्सी-कैडर में अभ्यासी संकाय के रूप में सहायक, एसोसिएट और पूर्ण प्रोफेसरों के रूप में शिक्षकों का स्तर, रिक्तियां संस्थान की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।
 - (2) शिक्षण कर्मचारियों (संकाय) के अनुपात में स्वीकृत गैर-शिक्षण कर्मचारियों (प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य पदों) की संख्या सामान्य रूप से 1.1: 1 के अनुपात में होगी।

- (3) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए संवर्गवार पदों, वेतन और वर्गीकरण के पैमाने; पदोन्नति के लिए मानदंड; और भर्ती या पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें (प्रतिनियुक्ति सहित) समय-समय पर बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले अनुमोदनों के अनुसार होंगे।
- (4) संस्थान के नियमित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का पारिश्रमिक भारतीय प्रबंधन संस्थानों पर लागू भारत सरकार के दिशा निर्देशों और मानदंडों के अनुसार होंगे।
- (5) संकाय की सेवा के कर्तव्यों और शर्तों को कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से निर्धारित किया जाता है। कार्यात्मक रूप से, वे काम के चार मानदंडों के तहत निर्धारित किए जाएंगे, अर्थात्, (i) शिक्षण, (ii) अनुसंधान, (iii) संस्थान की सेवा, और (iv) पेशे की सेवा, जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है; और जो, प्रशासनिक रूप से, उनके रोजगार के नियमों और शर्तों के अनुसार होगा।
- (6) संकाय के लिए, प्रति वर्ष काम की कुल न्यूनतम अपेक्षा तीन आयामों (i) शिक्षण, (ii) अनुसंधान, और (iii) सेवा के तहत 160 अंकों में विभाजित की गई है। तीन आयामों में शिक्षण के लिए न्यूनतम 90 अंक, और अनुसंधान और सेवा गतिविधि के लिए संयुक्त रूप से 70 अंक निर्धारित हैं; एक वर्ष, जिसे इस संदर्भ में शैक्षणिक वर्ष के रूप में परिभाषित किया जा रहा है, 1 जून से 31 मई तक होगा।
- (7) शिक्षण के तहत कम से कम 60 अंक लंबी अवधि के कार्यक्रमों से आना चाहिए।
- (8) लेकिन, एक पाठ्यक्रम एक से अधिक संकाय द्वारा पढ़ाए जाने के मामले में, ये अंक उनके बीच आनुपातिक रूप से बांट दिए जाएंगे। यह नियम तब भी लागू होगा, जब पाठ्यक्रम किसी ऐसे संकाय के साथ साझा किया गया हो जो संस्थान का संकाय सदस्य नहीं है।
- (9) अनुसंधान और सेवा कार्य के अंको की कमी को शिक्षण में अर्जित 90 से अधिक अंको से समायोजित किया जा सकता है। लेकिन अनुसंधान और सेवा में प्राप्त अतिरिक्त अंकों का उपयोग शिक्षण में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नहीं किया जा सकता है, यहाँ दिए गए कुछ मामलों को छोड़कर।
- (10) शिक्षण से अनुसंधान और सेवा में, और इसके विपरीत, अंकों को स्थानांतरित करने की अनुमति होगी। 'क्षतिपूर्ति' के रूप में परिभाषित गतिविधियों को सीधे शिक्षण के अंको में जोड़ा जा सकेगा।
- (11) 'गैर-क्षतिपूर्ति' के रूप में परिभाषित की गई गतिविधियों के अंकों को सीधे शिक्षण के अंकों में नहीं जोड़ा जा सकता। शिक्षण के अंकों में कमी होने पर ही उन्हें जोड़ा जा सकेगा। अर्थात्, यदि 'क्षतिपूर्ति' के रूप में चिन्हित की गई गतिविधियों से प्राप्त अंकों की कुल संख्या 90 से कम है, तो ही वे शिक्षण के अंकों में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा, ये अंक केवल तब तक जोड़े जा सकते हैं जब तक कि कुल अंक 90 न हो जाएं। केवल 'गैर-क्षतिपूर्ति' के रूप में चिन्हित गतिविधियों का उपयोग शिक्षण में काम की कमी को कवर करने के लिए किया जा सकता है। 'गैर-क्षतिपूर्ति' के रूप में चिन्हित सभी गतिविधियों के अंकों को अनुसंधान और सेवा ' के अंकों में भी जोड़ा जा सकता है।
- (12) जब भी 'शिक्षण' में अर्जित कुल अंक 90 से अधिक हों, संबंधित संकाय सदस्य अतिरिक्त मुआवजे के लिए पात्र होंगे, बशर्ते 'अनुसंधान और सेवा ' के अंकों में कोई कमी न हो। क्षतिपूर्ति राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी। 70 से अधिक गैर-क्षतिपूर्ति वाले अंकों को समायोजित नहीं किया जा सकता। केवल 'क्षतिपूर्ति' के रूप में चिन्हित गतिविधियों से प्राप्त अंकों, 90 से अधिक होने पर ही, का उपयोग समायोजन के लिए किया जा सकता है। केवल कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा अर्जित अतिरिक्त अंको के लिए ही अतिरिक्त मुआवजा देय होगा।
- (13) संकाय एक वर्ष में शिक्षण से अर्जित अतिरिक्त अंकों का मुआवजा लेने के बजाए उन्हें आगे ले जा सकता है। इसी प्रकार, शिक्षण के अंकों की कमी को भी अगले वर्ष में ले जाकर पूरा किया जा सकता है। संकाय के द्वारा अर्जित अंकों को लगातार तीन शैक्षणिक वर्षों के अंत में औसत किया जाता है।
- (14) कार्य मानदंडों के चार स्तंभों, अर्थात्, शिक्षण, अनुसंधान, संस्थान की सेवा और पेशे की सेवा से अर्जित अंक गतिविधि-वार अंक, प्रत्येक गतिविधि के लिए अंको की मात्रा, अंकों की प्रकृति (अर्थात क्षतिपूर्ति या गैर-क्षतिपूर्ति), सीमा और समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित विशेष शर्तों के अनुसार होंगे।
- (15) कार्य मानदंडों के स्तंभों में प्रति वर्ष काम की कुल न्यूनतम अपेक्षा और प्रत्येक स्तंभ के तहत पूर्ति की न्यूनतम आवश्यकता, और वर्ष की परिभाषा, समय-समय पर बोर्ड द्वारा किए जाने वाले अनुमोदनों के अनुसार होंगे।
- (16) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कर्तव्य उनके रोजगार की शर्तों के अनुसार होंगे। सेवा की शर्तें केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1964 और 1965 के अनुसार होंगी।

10. संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की योग्यता, वर्गीकरण, कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति का तरीका –

- (1) शिक्षण संकाय की नियुक्ति, योग्यता, मात्रा और अनुभव की प्रकृति के बारे में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (2) शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें और तरीका समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती और चयन प्रक्रिया के अनुसार होगा
- (3) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए, सभी वेतनमान-2 पदों के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता स्नातक; और सभी वेतनमान-3 और वेतनमान-4 पदों के लिए स्नातकोत्तर होगी। योग्यता को कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाहिए और वर्ग या कार्य के लिए प्रासंगिक होना चाहए। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 26 वर्ष होगी। वेतनमान-2, वेतनमान -3 और वेतनमान -4 पदों के लिए अधिकतम आयु क्रमशः 40 वर्ष, 45 वर्ष और 55 वर्ष होगी। आयु में छूट (इन सीमाओं के ऊपर) भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार लागू होगी; वेतनमान -2, वेतनमान -3 और वेतनमान -4 के पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता क्रमशः 12 वर्ष, 20 वर्ष और 28 वर्ष तक होगी।
- (4) संकाय की भर्ती नियमावली के आधार पर की जाएगी।
- (5) संकाय आवेदन जाँच समिति, संकाय संगोष्ठी मूल्यांकन समिति और संकाय साक्षात्कार समिति बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार और निदेशक द्वारा तय की गई रचना, जाँच और चयन की प्रक्रिया का पालन करेंगी।
- (6) संकाय साक्षात्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड के अध्यक्ष संकाय की नियुक्ति को मंजूरी देंगे। बोर्ड को इस बारे में अवगत कराया जाएगा।
- (7) स्वीकृत शक्ति के दायरे में, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्तियां (वर्ग-वार, कार्य-वार, पद-वार, स्तर, स्केल-वार) समय-समय पर निदेशक द्वारा गठित मानव संसाधन समिति द्वारा तय की जाएंगी।
- (8) रिक्तियों की सिफारिश पर, कार्य का विवरण और अन्य (विशेष) आवश्यकताओं का निर्धारण मानव संसाधन समिति द्वारा और निदेशक के अनुमोदन किया जाएगा और भर्ती के विभिन्न तरीकों जैसे सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया, विधिवत गठित चयन समिति के माध्यम से तय किया जाएगा।

(9) सीधी भर्तीः

- (क) सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान-6 के सभी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। वेतनमान-7 और ऊपर की रिक्तियों को पदोन्नति या सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। स्तर-13 A और 14 पर पदों को केवल निश्चित कार्यकाल पर भरा जाएगा;
- (ख) सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार, वेतनमान-6 से नीचे के पदों के लिए कर्मियों की आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरी की जाएगी;
- (ग) वर्गीकृत पदों के लिए संस्थान विधिवत विज्ञापन द्वारा "सीधी भर्ती" के रूप में आवेदन आमंत्रित करेगा;
- (घ) विस्तृत विज्ञापन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा; और एक लघु और सांकेतिक विज्ञापन देशव्यापी प्रसार वाले मुद्रित-प्रकाशन में प्रकाशित किया जाएगा जिसके द्वारा आवेदकों का ध्यान संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण पर आकर्षित किया जाएगा;
- (ङ) विज्ञापित पदों, वर्ग-वार और पद-वार के लिए जाँच-सह-चयन मिति और भर्ती समिति, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ गठित की जाएगी। जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उम्मीदवार हैं, वहाँ संबंधित समितियों में उनका उचित प्रतिनिधित्व होगा;
- (च) इन नियमों और अन्य संवर्ग और पद-विशिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राप्त आवेदनों की पात्रता की जाँच जाँच-सह-चयन सिमिति द्वारा की जाएगी। सिमिति उम्मीदवारों पर चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए बुलाए जाने पर एक उचित सीमा तक प्रतिबंध लगा सकती है, ऐसे मानदंडों के आधार पर कि जो इसे निर्धारित न्यूनतम से अधिक उपयुक्त लग सकते हैं;
- (छ) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद, चुने गए आवेदकों को चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा;
- (ज) चयन समिति को चयन की एक या अधिक विधियाँ चुनने जैसे परीक्षण, प्रस्तुति और साक्षात्कार और वर्ग-वार और पद-वार चयन प्रक्रिया के लिए प्रदर्शन-मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार करने की स्वतंत्रता होगी;
- (झ) चयन समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएंगी;

- (ञ) चयनित उम्मीदवारों के वेतन का निर्धारण, चयन समिति की सिफारिशों और भारत सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों जैसे कारकों के आधार पर किया जाएगा:
- (ट) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति की शर्तों के साथ प्रस्ताव दिया जाएगा।

(10) पदोन्नति:

- (क) उपलब्ध रिक्त स्थान को पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है यदि यह इस तरह से चिह्नित है;
- (ख) बसंस्थान इन नियमों का पालन करते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करेगा और इस तरह के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा;
- (ग) आंतरिक आवेदकों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ एक चयन समिति [विभागीय पदोन्नति समिति या डीपीसी], वर्ग-वार, गठित की जाएगी;
- (घ) जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उम्मीदवार हैं, वहाँ समिति में इनका उचित प्रतिनिधित्व होगा:
- (ङ) सिमिति इन नियमों के अनुसार पदों के लिए पात्रता आवश्यकताओं के स्वरूप में ऐसे कारकों को ध्यान में रखेगी; वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट; अतिरिक्त या वांछनीय योग्यता की आवश्यकता; अनुशासनात्मक कार्रवाई (यदि कोई हो), सिक्रय पहल और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा संस्था-निर्माण में योगदान;
- (च) सिमिति को चयन की एक या अधिक विधियाँ चुनने की स्वतंत्रता होगी जैसे कि प्रस्तुति और साक्षात्कार। यह चयन प्रक्रिया, वर्ग-वार, पद-वार के लिए प्रदर्शन-मूल्यांकन मानदंड तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी;
- (छ) समिति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए योग्यता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगी;
- (ज) चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और नियुक्ति की शर्तों के साथ प्रस्ताव दिया जाएगा।
- (11) प्रतिनियुक्ति पर ऐसे कर्मियों की संस्थान की सेवाओं में प्रतिनियुक्ति और अवशोषण द्वारा नियुक्ति भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी;
- (12) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (घ) के अनुरुप एक प्रावधान के रूप में, मानव संसाधन समिति द्वारा सिफारिश और सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर के लैटरल मूवमेंट के लिए वन-टाइम-मेज़र के रूप में छूट दी जा सकती है, पहली बार इन विनियमों के कार्यान्वयन के समय;
- (13) चयन सिमिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए, आने वाले समय में निदेशक, सक्षम प्राधिकारी के रूप में, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान-12 या उसके समतुल्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को मंजूरी देगा। वेतनमान-12 से ऊपर के पदों पर सभी नियुक्तियों को सक्षम अधिकारी के रूप में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;
- (14) वंचित वर्गों और अन्य योग्य श्रेणियों से संबंधित संकाय और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण और छूट के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश और मानदंड लागू होंगे। आवश्यकतानुसार विशेष भर्ती अभियान चलाया जा सकता है;
- (15) बोर्ड द्वारा अनुमोदित संकाय विकास और मूल्यांकन समिति बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य मानदंडों के संबंध में संकाय के प्रदर्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है और निदेशक को अपनी सिफारिशें प्रदान करती है;
- (16) निदेशक, संकाय के सेवा मामलों पर बोर्ड के अध्यक्ष के विचार के लिए अपने स्वयं के विचारों के साथ, उक्त समिति की सिफारिशें भी लेता है;
- (17) आम तौर पर कार्यक्रमों और गतिविधियों के अध्यक्ष गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी होते हैं। डीन या संकाय जिन्हें इस तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, वे समीक्षा अधिकारी होंगे; और जहां निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी है, वहाँ निदेशक ही अनुमोदन या नियंत्रण अधिकारी होगा। कर्मचारियों के सेवा मामलों को इसी अनुसार निपटाया जाएगा। निदेशक के प्राधिकार के ऊपर के मामलों को विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा।
 - 11. शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन- (1) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पेंशन या भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण और ग्रेच्युटी जैसे लाभ, जो भी लागू हो, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों, और संबंधित कर्मचारी सदस्यों के रोजगार के नियमों और शर्तों, के अनुसार दिए जा सकते हैं।
 - (2) लागू और संबंधित वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन या भविष्य निधि के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान, धन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए, संबंधित प्राधिकृत एजेंसियों को प्रेषित किया जाएगा।
 - (3) संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, अवकाश नकदीकरण और उपदान के लिए योगदान के प्रशासन और प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, संस्थान भारतीय न्यास (ट्रस्ट) अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के तहत स्वतंत्र न्यास

- के रूप में निधि का गठन कर सकता है; या कानून में अधिकृत निर्दिष्ट संस्थाओं जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाओं को संलग्न कर सकता है।
- (4) एक न्यास के गठन की स्थिति में, न्यास के व्यापार, कार्यों और शक्तियों और न्यासी मंडल का संचालन तत्कालीन प्रासंगिक कानून के अनुसार होगा; और निधि का प्रबंधन, निवेश, प्रशासन और नियंत्रण इस तरह की निधि के न्यासी मंडल में निहित होगा:
 - बशर्ते कि संस्थान के हितों को प्रभावित करने वाला न्यासी मंडल का कोई भी निर्णय संस्थान के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
- (5) जब तक अर्जित अवकाश नकदीकरण और उपदान के लिए योगदान का प्रबंधन किसी निर्दिष्ट इकाई को नहीं सौंपा जाता है, जैसा कि यहां कहा गया है, संस्थान शासी मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश के नियमन के अनुसार ही इस निधि का प्रबंधन कर सकता है; और तत्कालीन कानून के तहत आवश्यक प्रासंगिक लेखा पुस्तकें बनाएगा।
- 12. अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए विनियम- (1) संस्थान लिंग, प्रजाति, पंथ, जाति या वर्ग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, और छात्रों को प्रवेश देते समय धार्मिक विश्वास या पेशे से संबंधित कोई भी परीक्षा या शर्त लागू नहीं की जाएगी।
 - (2) संस्थान के सभी लंबी अवधि, शैक्षणिक-शीर्षक प्रदान करने वाले कार्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए पारदर्शी नीतियों का पालन किया जाएगा। अध्ययन के ये पाठ्यक्रम यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुरूप होंगे। यह नीतियां वंचित वर्गों और अन्य योग्य श्रेणियों के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण और छूट पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और मानदंडों पर विधिवत विचार करते हुए तैयार की जाएंगी।
 - (3) संस्थान के प्रत्येक शैक्षणिक शीर्षक अनुदान कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश की प्रक्रिया, मानदंड और उनके भार को अध्यादेश के माध्यम से शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
 - (4) संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि किसी योग्य उम्मीदवार को उसकी वित्तीय अक्षमता के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सभी योग्य उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो।
- 13. मानद उपाधि के लिए नियमन- (1) संस्थान की शैक्षणिक परिषद किसी भी ऐसे व्यक्ति को मानद उपाधि, मानद पुरस्कार और अन्य सम्मान प्रदान करने के संदर्भ में एक अध्यादेश लाएगी, जिन्होंने उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, लोक प्रशासन, समाज सेवा के क्षेत्र में या व्यापक पैमाने पर सरकार, व्यवसाय या समाज को लाभ के ऐसे अन्य क्षेत्र में खद को प्रतिष्ठित किया हो।
 - (2) अनुमोदित अध्यादेशों के अनुसार, प्राप्त संदर्भों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए; या सम्मेलन के दौरान मानद उपाधि, मानद पुरस्कार या अन्य सम्मान के उपयुक्त नामों पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए, शैक्षणिक परिषद वर्ष में एक बार, आम तौर पर दीक्षांत समारोह की तारीख से तीन महीने पहले, विशेष बैठक बुला सकती है।
 - (3) शैक्षणिक परिषद ऐसी सिफारिशें बोर्ड के समक्ष प्रस्तृत करेगी।
 - (4) अगर बोर्ड उचित समझे तो यह इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए एक उप-समिति, या एक बाहरी विशेषज्ञ सिमिति या दोनों के संयोजन का गठन कर सकता है, तािक विचार करते समय व्यक्तियों द्वारा मानदंडों की पूर्ति की प्रकृति और सीमा का एक उद्देश्य और साक्ष्य-आधारित निर्धारण किया जा सके।
 - (5) तत्पश्चात, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, शैक्षणिक परिषद और उपरोक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड संबंधित व्यक्तियों को मानद उपाधि, मानद पुरस्कार और अन्य सम्मान प्रदान करने का निर्णय ले सकता है।
- 14. संस्थान में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के लिए शुल्क- (1) शैक्षणिक शीर्षक प्रदान करने वाले प्रत्येक लंबी अविधि के शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रत्येक बैच के लिए शुल्क का निर्धारण बोर्ड करेगा।
 - (2) एक बैच के लिए एक बार अधिसूचित कार्यक्रम शुल्क को उस बैच के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा और एक बैच के छात्र कार्यक्रम की अविध के दौरान उसी वार्षिक कार्यक्रम शुल्क का भुगतान करेंगे।
 - (3) कार्यक्रम शुल्क के निर्धारण के लिए बोर्ड को निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - (क) कार्यक्रम सरकार या संबंधित प्रायोजक से कार्यक्रम के लिए प्राप्त आवर्ती वित्तीय सहायता (यदि कोई हो) के बाद, वित्तीय रूप से आत्म-निर्भर होना चाहिए;
 - (ख) कार्यक्रम का शुल्क उचित होगा और अन्य समान स्तर के संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क के अनुरूप होगा;

- (ग) प्रमुख स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के मामले में, यह शुल्क आम तौर पर शुल्क निर्धारण वाले वर्ष की निवर्तमान बैच को दिए जाने वाले औसत वार्षिक वेतन से अधिक नहीं होगा;
- (घ) कार्यक्रम शुल्क में परिवर्तन क्रमिक और अनुमानित होगा और अचानक नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, सामान्य रूप से, प्रत्येक बैच के लिए कार्यक्रम शुल्क लगभग पांच प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, बशर्ते कि इस तरह की वृद्धि लागत और अन्य प्रासंगिक कारकों में वृद्धि की तुलना में उचित हो।
- (4) कार्यक्रम शुल्क के निर्धारण के लिए पद्धति:
 - 1. सामान्य तौर पर कार्यक्रम शुल्क के निर्धारण, समीक्षा या संशोधन के लिए एक प्रस्ताव, कार्यक्रम की अविध लिए अनुमानित व्यय और अन्य प्रासंगिक जानकारी के विवरण के साथ (आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए) बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा;
 - शुल्क की समीक्षा और संशोधन के मामले में, अनुमानित व्यय हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में विभिन्न मदों पर हुए वास्तविक व्यय, चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न मदों के लिए अनुमोदित बजट और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान पर आधारित होगा;
 - 3. कार्यक्रम के लिए निश्चित समस्त प्रत्यक्ष व्यय को पूर्ण रूप से शामिल किया जाएगा जबिक अप्रत्यक्ष प्रकृति के व्यय को संस्थान द्वारा परिभाषित आवंटन पद्धित के आधार पर कार्यक्रम और अध्ययन के अन्य पाठ्यक्रमों में बाँट दिया जाएगा। हालांकि, जब तक अध्ययन के अन्य पाठ्यक्रमों से प्राप्त शुल्क प्रमुख स्नातकोत्तर कार्यक्रम से प्राप्त शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता, संपूर्ण अप्रत्यक्ष लागत प्रमुख स्नातकोत्तर कार्यक्रम के व्यय में ही जोड़ी जाएगी। संशोधन प्राप्त अनुभव के आधार पर होंगे।
- (5) विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम शुल्क का भुगतान किस्तों में किया जाएगा, जिसे अवधि-शुल्क या सत्र-शुल्क कहा जाता है।
- (6) संस्थान बैच के लिए तैयार विद्यार्थी पुस्तिका में शुल्क के भुगतान हेतु उपलब्ध किस्तों, समय-सारणी और अन्य शर्तों का विवरण प्रकाशित करेगा।
- (7) संस्थान अधिसूचित अविध के दौरान छात्रों के द्वारा देय समस्त शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- **15. फैलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्श, पदक और पुरस्कार-** संस्थान शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार और बोर्ड द्वारा अनुमोदित अध्यादेशों के अनुसार मेधावी छात्रों को फैलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करेगा।
- 16. संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और हॉल और छात्रावासों में निवास के लिए शुल्क और अन्य प्रभार- (1) छात्र संस्थान की पहचान हैं और वे अपने सभी कार्यों, बातों, और छात्रावास में, परिसर में और उसके बाहर अपने व्यवहार में, हर समय संस्थान की गरिमा को बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। यही नियम और अपेक्षाएं छात्रावास में उनके निवास के दौरान उनके आचरण पर भी लागू होंगी।
 - (2) प्रमुख स्नातकोत्तर कार्यक्रम के सभी छात्रों के लिए छात्रावास में रहना अनिवार्य है। छात्र पुस्तिका में छात्रावास और भोजनशाला व अपेक्षित और अनपेक्षित कार्यों संबंधित नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएंगे। जिसकी एक प्रति पंजीकरण के समय प्रत्येक छात्र को प्रदान की जाएगी।
 - (3) हॉल और छात्रावासों में निवास के लिए शुल्क और अन्य प्रभार में आमतौर पर निम्न व्यय शामिल होंगे: (i) छात्रावास किराया या देय लागत; (ii) गृह व्यवस्था; (iii) सुरक्षा सेवाएँ; (iv) मरम्मत और रखरखाव; (v) बिजली और पानी; (vi) संचार और इंटरनेट; (vii) छात्र-कल्याण गतिविधियाँ; (viii) भोजनशाला-सब्सिडी; (ix) स्वास्थ्य और यात्रा बीमा; (x) मूल्यह्रास; तथा (xi) स्थानीय परिवहन (शटल सेवाएं)।

17. निदेशक मंडल को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन-

- (1) प्रशासनिक शक्तियाँ:
 - (क) शैक्षिक और अनुसंधान संबंधित मामले:
 - (i) अध्ययन, प्रशिक्षण या क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों और अनुसंधान के किसी भी मौजूदा या नए पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्यक्रमों को लागू करने, डिजाइन करने, पुन: डिज़ाइन करने के लिए, बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक शीर्षक के पुरस्कार से संबंधित सभी कार्यक्रमों के संबंध में, शैक्षणिक परिषद (अधिनियम के तहत) की स्वीकृति अनिवार्य है;
 - (ii) भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ छात्र-विनिमय या निमज्जन कार्यक्रम समझौतों में प्रवेश, (अधिमानतः) पारस्परिक आधार पर;

- (iii) अकादिमक या प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान परियोजनाओं या अन्य शैक्षणिक साझेदारी वाले प्रयासों के लिए भारतीय या विदेशी संस्थानों या संगठनों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था में प्रवेश करना, जहाँ तक इस तरह की गतिविधियों का संबंध संस्थान के (संभावित) हितों से हों;
- (iv) संस्थान के जर्नल्स, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों और अन्य मुद्रित सामग्री, संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन या सोशल मीडिया के प्रकाशन के लिए, कार्य कार्यक्रम और गतिविधियों के लिए;
- (v) अनुसंधान या परामर्श परियोजना और असाइनमेंट स्वीकार करने; और एक या एक से अधिक संकाय को परियोजना सौंपने के लिए। ऐसी परियोजनाओं का विवरण, संकाय के नाम के साथ, प्रत्येक वर्ष बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा;
- (vi) आवर्ती अनुदान, प्रायोजन स्वीकार करने; सहयोगी व्यवस्था में प्रवेश करने या भारत में व्यक्तियों, संस्थानों और कंपिनयों, और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों से संकाय अध्यक्षता की स्थापना के लिए बंदोबस्ती स्वीकार करना, इस तरह की बंदोबस्ती निधि से होने वाली ब्याज की आय से उक्त अध्यक्षता के लिए सभी व्ययपूर्ति करने की उम्मीद के साथ;
- (vii) संस्थान के नाम पर या किसी अन्य पार्टी के साथ संयुक्त रूप से बौद्धिक संपदा के संबंध में पेटेंट और कॉपीराइट के लिए आवेदन करना और इन्हें प्राप्त करना;
- (viii) संस्थान के हितों की रक्षा करते हुए, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यावसायिक उपयोग करना और संबंधित पक्षों के साथ उपयुक्त अनुबंध में प्रवेश करना।

(ख) कार्यकारी शिक्षा मामले:

किसी भी मौजूदा या नए, खुले, अनुकूलित और साझेदारी कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को डिज़ाइन, रीडिज़ाइन, संशोधित करने या लागू करने के लिए, लक्ष्य की भागीदारी और बजट और इसके संबंध में लिए जाने वाले प्रभार को अनुमोदित करने के लिए।

(ग) शिक्षण कर्मचारी मामले:

- (i) भर्ती प्रक्रियाओं, भारतीय प्रबंधन संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार नियमित संकाय के संबंध में लागू सेवा की शर्तें और नियम; और बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदनों के प्रबंधन और कार्यान्वय;
- (ii) संबंधित कार्यक्रम समिति के परामर्श से, बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन और शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार अभ्यासी या सहायक संकाय को जोड़ने के लिए और उस संबंध में गठित चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तें तय करना;
- (iii) संबंधित कार्यक्रम समिति के परामर्श से अभ्यागत या अतिथि संकाय को जोड़ना और उनके मानदेय और नियुक्ति की अन्य शर्तों को तय करना;
- (iv) संकाय सदस्यों को, उचित विचार और निष्कर्ष के बाद, बोर्डों, शैक्षणिक समितियों, सलाहकार समितियों और संस्थानों या संगठनों के अन्य निकाय या शासी निकायों में अंशकालिक मनोनयन स्वीकार करने हेतु अनुमित देना, और यह सुनिश्चित करना कि इससे कोई हितों का टकराव या प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव न हो। इस तरह लगाया गया समय या अर्जित मानदेय बोर्ड द्वारा अनुमोदित पेशेवर गतिविधियों के तहत (रोजगार के नियमों और शर्तों के भाग के रूप में) लेखांकित किया जाएगा। इस तरह के मनोनयन को प्रतिवर्ष बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली "निदेशक की रिपोर्ट" में सूचित किया जाना चाहिए।

(घ) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मामले:

- (i) प्रासंगिक नियमों के अनुसार गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;
- (ii) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में भारतीय प्रबंधन संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं; और बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार, भर्ती प्रक्रियाओं और सेवा के नियम और शर्तों को संचालित करना और लागू करना;
- (iii) परियोजनार्थ, अस्थायी शैक्षणिक और अनुसंधान सहायता कर्मचारियों को नियुक्त करना और इस हेतु गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तों को तय करना;
- (iv) तकनीकी सहायता, सलाहकार या पेशेवर सेवाओं के लिए निश्चित-कार्यकाल (रिटेनरशिप) सहित विशेषज्ञों या सलाहकारों के रूप में पेशेवरों को नियुक्त करना और किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित और

- परियोजना उन्मुख आवश्यकताओं के संबंध में उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तों को तय करना:
- (v) निदेशक के प्राधिकार से नियुक्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अग्रिम सूचना अविध की शर्त को अधित्यक्त या समाप्त (पूर्ण या आंशिक रूप से) कर उनका त्याग-पत्र स्वीकार करना;
- (vi) अग्रिम सूचना या इसके बदले में वेतन का भुगतान करके, जो भी आवश्यक समझा जाए, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अस्थायी नियुक्तियों को समाप्त करना।

(ङ) संस्थागत मामले:

- (i) संस्थान के शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों के संबंध में ऐसी सभी कार्यों और गतिविधियों को करना और प्रत्यायोजित प्राधिकार के भीतर प्रशासनिक शक्तियों और वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना;
- (ii) संस्थान की ओर से वकालत या मध्यस्थता वाले मामलों को संदर्भित करना, अनुबंध, समझौता ज्ञापन, प्रकरणों, कानूनी दस्तावेजों, क्षतिपूर्ति बांड को निष्पादित करना और हस्ताक्षर करना, और संस्थान के मामलों के प्रबंधन के तहत ऐसे समस्त कार्यों और गतिविधियों को करना:
- (iii) अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्यों के अनुसार, शैक्षणिक, अनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में संस्थान की खोज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सभी कार्य और गतिविधियां करना;
- (iv) लागू और आवश्यक भू कानूनों के तहत संस्थान को पंजीकृत करना; और इस हेतु आवश्यक घोषणाओं, उपक्रमों या प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करना;
- (v) किसी भी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय निकाय या संगठन के तहत मान्यता या संबद्धता के लिए संस्थान को पंजीकृत करना;
- (vi) विशिष्ट कार्यों और परियोजनाओं को पूरा करने, और इस प्रकार संस्थान के वृहद उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में संलग्न आंतरिक या बाहरी शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी या उनके संयोजन के साथ समितियों की नियुक्ति करना, और बाहरी सदस्यों की संलग्नता के लिए शुल्क और पारिश्रमिक तय करना;
- (vii) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, छात्रों द्वारा किसी भी अस्वीकार्य कार्य या चूक की जाँच के लिए जांच समिति या अन्य समितियों का गठन करना, और संबंधित अधिकारियों (जांच अधिकारी, प्रस्तुति अधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अपीलीय अधिकारियों) को नियुक्त करना;
- (viii) छात्रों और निदेशक द्वारा नियुक्त गैर-शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में, संबंधित समितियों द्वारा अनुशंसित दंड, बड़ा और मामूली, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन करना (संशोधन सहित, यदि कोई हो); अन्य मामलों में, दंडात्मक गतिविधियों को लागू करने के लिए अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी;
- (ix) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना और प्रशासनिक जिम्मेदारी के पदों को धारण करने वाले ऐसे कर्मियों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां सौंपना, संस्थान की सुचारू और कुशल कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक और समीचीन मानी जाने वाली सीमा तक;
- (x) संस्थान के अच्छे कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को तैयार करना और लागू करना और शिक्षण और एक सरल, कुशल और व्यवस्थित तरीके से कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपना;
- (xi) संपत्ति और पिरसंपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करना और संस्थान की संपत्ति और पिरसंपत्ति पर स्वामित्व और अधिकारों के शीर्षक को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक और समीचीन मानी जाने वाली कार्यवाही करना;
- (xii) ऐसे मामलों में, जिन्हें यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, संस्थान के समग्र हितों के लिए अनिवार्य उपाय करना। इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द बोर्ड के अध्यक्ष को सूचित किया जाना चाहिए;
- (xiii) इन नियमों, इनमें किए गए बदलाव (परिवर्धन और संशोधन) सहित, अधिनियम और नियमों के तहत पहले से ही प्राप्त (समय-समय पर किए जाने वाले संशोधन सहित) या बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी अन्य कार्यों और शक्तियों का संचालन बनाए रखना;
- (xiv) वित्तीय अधिकार नियम, 1978 के प्रतिनिधिमंडल के तहत विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करना और भारत सरकार के विभाग के लिए उपलब्ध सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना;

(xv) मौलिक नियमों और अनुपूरक नियमों के तहत विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करना और भारत सरकार के विभाग के लिए उपलब्ध प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना।

(2) वित्तीय शक्तियां:

- (क) बैंक खातों को खोलने और संचालित करना, द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चेक-हस्ताक्षर करने के अधिकारों का प्रयोग करना और प्रशासनिक पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को स्वीकृत करना, जो सकल रूप से दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी (निदेशक के लिए रुपये उप-सीमा तीन लाख से अधिक नहीं);
- (ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमन के अनुसार, घरेलू अनुसूचित बैंकों में संस्थान की राशि (कायिक निधि और अनुदान राशि) के अल्पकालिक निवेश को मंजूरी देना, जिसकी अवधि 365 दिनों से और राशि रू. पाँच करोड़ से अधिक नहीं होगी:
- (ग) उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से योग्य छात्रों को इनाम, पुरस्कार, वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति प्रदान करना, संबंधित समिति की अनुशंसा अनुसार;
- (घ) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए इनाम, पुरस्कार, और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, उल्लेखित मानदंडों के अनुसार;
- (ङ) संस्थान में गणमान्य व्यक्तियों और अन्य आगंतुकों के आने पर होने वाले मनोरंजन और आतिथ्य व्यय को अनुमोदित करना:
- (च) सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के अनुसार, संस्थान के लिए आवश्यक सेवाओं, जिन्हें अनिवार्य और समीचीन माना जाता है, को आउटसोर्स करना;
- (छ) सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के अनुसार, घाटे को बट्टे खाते में लेखांकित करना, एक वित्तीय वर्ष में रुपये दस लाख से अधिक नहीं;
- (ज) सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान अधिशेष, अप्रचलित या अप्रतिरोध्य (किफायती मरम्मत से परे) संपत्ति, माल और उपभोग्य, और अप्रत्याशित घटना से क्षतिग्रस्त वस्तुओं, जिनका संचयी लेखा मृल्य दस लाख रुपये से अधिक नहीं हो, के निपटान को मंजूरी देना;
- (झ) ऐसी स्थिति में जहां कोई स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित नहीं है या जहां संस्थान के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं है, जब तक इस तरह की कमी को दूर न कर लिया जाए; भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर (संरक्षक संस्थान) में लागू नियमों का पालन करना,
- (ञ) अनुमोदित प्राधिकारी, छूट और क्षमादान की तुलना में एक-स्तर अधिक का अनुमोदन करना और गतिविधियों के सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन अपवादों में छूट और विशेष स्वीकृतियां देना; ऐसी स्वीकृतियों का वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) निदेशक की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए:

बशर्ते कि प्रत्यायोजित प्राधिकारी स्वयं निदेशक हो, ऐसे विशेष मामलों को वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति (निदेशक से एक स्तर अधिक) की मंजुरी की आवश्यकता होगी:

- (ट) समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय की गई पूंजी और आवर्ती व्यय के संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करना।
- **18. निदेशक के परिवर्तनीय वेतन के लिए प्रदर्शनीय उद्देश्य-** (1) सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 229 (xi) के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के साथ संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
 - (2) यह एमओयू, संस्थान के वार्षिक प्रदर्शन मापदंडों के मात्रात्मक और गुणात्मक रूप को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करेगा।
 - (3) इस तरह के प्रदर्शन मानक मुख्य लक्ष्यों को उपयुक्त रूप से व्यक्त करते हैं, जैसा कि ग्राहक के परिप्रेक्ष्य; नवाचार और अधिगम दृष्टिकोण; आंतरिक व्यापार प्रक्रिया परिप्रेक्ष्य; और बड़े पैमाने पर हितधारक परिप्रेक्ष्य के प्रदर्शन घटकों के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रालय द्वारा भी उल्लेखित है।
 - (4) निदेशक के परिवर्तनीय वेतन के आधार में दो तरह के प्रदर्शनीय उद्देश्य शामिल होंगे: (i) वे जो मंत्रालय के साथ संस्थान द्वारा वार्षिक रूप से हस्ताक्षरित एमओयू में निहित है; तथा (ii) अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में, जो शासी मंडल मनोनयन समिति आवश्यक महसूस करे, यदि कोई हो।
 - (5) संस्थान के विकास चरणों और जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए, समिति, निदेशक के साथ सालाना परामर्श में, विशिष्ट प्रदर्शन मापदंड निर्धारित कर सकती है; दोनों ओर के प्रासंगिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए।

- (6) समझौता ज्ञापन में प्रदर्शन उद्देश्य यथासंभव व्यापक और यथार्थवादी होंगे। एमओयू में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का भाग कम से कम 80 प्रतिशत होगा।
- (7) दोनों पक्षों के प्रदर्शन उद्देश्यों को बोर्ड द्वारा, वार्षिक रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
- (8) वित्तीय वर्ष के समापन पर, और अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4 के अनुसार, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नोमिनेशन कमेटी प्रत्येक पक्ष में प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए निदेशक द्वारा प्राप्त वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा कर सकती है, और उसके आधार पर, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 के खंड (एल) के अनुसार, बोर्ड को परिवर्तनीय वेतन पर एक सिफारिश कर सकती है।
- (9) एमओयू के लक्ष्य निर्धारण और वार्षिक प्रदर्शन-समीक्षा के संचालन के समय, समिति यदि आवश्यक समझे तो, एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान के संचालन में अनुभव प्राप्त किसी बाहरी विशेषज्ञ का चयन कर सकती है।
- **19. निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य-** (1) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और संस्थान को नेतृत्व प्रदान करेंगे।
 - (2) निदेशक मंडल के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - (3) निदेशक संस्थान के प्रमुख शैक्षणिक निकाय, शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष होंगे।
 - (4) निदेशक संस्थान के मामलों और अधिनियम में उल्लिखित अन्य पहलुओं की स्थिति पर प्रतिवर्ष रिपोर्ट पेश करेंगे।
 - (5) निदेशक के प्रदर्शन की समीक्षा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संस्थान की उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में की जाएगी।
- 20. भवनों की स्थापना और रखरखाव के लिए विनियम- (1) भवन की स्थापना और रखरखाव संस्थान द्वारा भवन और निर्माण सिमिति के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत किया जाएगा, जिसे स्थायी परिसंपत्ति निर्माण की प्रकृति और सीमा के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित किया गया हो।
 - (2) भवन और कार्य समिति निम्न मामलों में बोर्ड को निगरानी, सलाह, और सिफारिश सेवा प्रदान करेगी (i) अस्थायी और स्थायी परिसर में डिजाइन, इंजीनियरिंग, योजना, आकलन, खरीद, निविदा और निर्माण गतिविधियाँ; (ii) आर्किटेक्ट और परियोजना प्रबंधन सलाहकार, स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ और निर्माण एजेंसियों सहित तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति; और (iii) समय और लागत अनुमान के अनुसार गतिविधियों की प्रगति।
 - (3) भवन और कार्य समिति तकनीकी विवरण, विनिर्देश, डिजाइन, आरेख, मात्रा और अनुमानों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगी; और बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार व्यय का अनुमोदन करेगी।
 - (4) इसके बाद, तकनीकी विवरण, डिजाइन, ड्राइंग, विनिर्देश, मात्रा, अनुमान, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सहित भवनों की स्थापना और रखरखाव संस्थान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार; या भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान के उपयोग के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के अनुमोदन; और बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार होगा। अनुमोदित बजट के भीतर स्वीकृत व्यय प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार होगा।
 - (5) आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों से इमारतों की स्थापना और रखरखाव प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय अनुमोदन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप होगा।
 - (6) इमारतों की स्थापना और रखरखाव की प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 जैसे नियमों में निहित दिशानिर्देशों, विभिन्न निर्देशिकाओं जैसे कार्य खरीद निर्देशिका, रखरखाव निर्देशिका, या भारत सरकार या इससे संबंधित या अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए जारी निर्देशिका, संपत्ति और सुविधा प्रबंधन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, या संस्थान द्वारा परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।
- 21. संस्थान की वित्तीय जवाबदेही.- (1) संस्थान उचित लेखा-पुस्तिकाएं, आय और व्यय का विवरण, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित निवेश और अन्य प्रासंगिक आलेख निर्दिष्ट करने वाली विवरणियों और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन मानक के तहत निर्दिष्ट प्रारूप में तुलन-पत्र सहित खातों का वार्षिक विवरण बनाए रखेगा।
 - (2) संस्थान अपनी स्थिति और लेनदेन के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली खातों की उचित अद्यतन पुस्तिकाएं रखेगा।
 - (3) बोर्ड संस्थान की आय और व्यय विवरणी और तुलन-पत्र की जांच के लए आंतरिक लेखा परीक्षक सहित लेखा परीक्षक की नियक्ति करेगा।

- (4) संस्थान निम्न खातों पुस्तिकांओं को अद्यतन बनाए रखेगा: (i) इसके द्वारा प्राप्त और व्यय की गई रकम; (ii) संस्थान की संपत्तियां और दायित्व और संस्थान की संपत्तियां, मूर्त और अमूर्त।
- (5) बोर्ड वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्टिंग की प्रभावशीलता का निरीक्षण करने और बोर्ड को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए; खातों और लेखा परीक्षा; निवेश; बजट; आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन; कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन; और निदेशक मंडल की प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक व्यय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, एक वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।
- (6) संस्थान द्वारा हर साल मार्च के महीने के दौरान, अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए त्रैमासिक नकदी प्रवाह विवरणी तैयार करेगा और वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करेगा।
- (7) संस्थान द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर, पिछली तिमाही का वास्तविक नकदी प्रवाह और अगली तिमाही और शेष वित्तीय वर्ष के अनुमानों के लिए संशोधित नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया जाएगा और वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (8) नकदी प्रवाह विवरणों को इस तरह के प्रारूप में तैयार किया जाएगा ताकि अधिशेष निधियों के निर्धारण और उनके उपयोग की प्रकृति, सीमा, और श्रेणी को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- (9) निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों में जमा, प्रति बैंक जोख़िम सीमा मानदंडों के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और जैसा कि निवेश विनियमन में निहित है।
- (10) वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक में, अधिशेष धन और निवेश की स्थिति, पिछली तिमाही के दौरान किए गए निवेश सहित, की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- (11) बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, निदेशक एक आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेगा।
- (12) बोर्ड द्वारा संस्थान के पदाधिकारियों में से एक को मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (13) मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी, संस्थान के निर्धारित मानदंडों और शिक्षा मंत्रालय और अधिनियम के मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार, प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा के आयोजन में सहयोग प्रदान करेग। मुख्य लेखा परीक्षा कार्यकारी आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित सभी मामलों में सीधे निदेशक को रिपोर्ट करेगा।
- (14) आंतरिक लेखा परीक्षा सिमिति एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी, या अक्सर आवश्यक महसूस होने पर, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सिमीक्षा करेगी, आवश्यकतानुसार आंतरिक लेखा परीक्षकों से मिलेगी, और प्रणाली और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए उपयुक्त सिक्रय या सुधारात्मक कार्रवाई और गैर-अनुपालन का उपचार, यिद कोई हो, शुरू करेगी। की गई कार्रवाई पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक बैठक में वित्त, निवेश, और लेखा परीक्षा सिमिति के समक्ष पेश किया जाएगा।
- (15) संस्थान के बोर्ड के समक्ष रखे गए खातों के प्रत्येक विवरण के साथ संलग्न निदेशक की रिपोर्ट में अधिनियम के तहत आवश्यक खुलासे होने चाहिए।
- (16) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा स्वीकृत धन के उचित उपयोग और रिपोर्टिंग के लिए संस्थान विभिन्न दाताओं और अनुदान संस्थानों के प्रति जवाबदेह होगा।
- (17) संस्थान शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू दिशा निर्देशों के अनुसार इसके संचालन के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रति भी जवाबदेह होगा।
- (18) संस्थान की वित्तीय जवाबदेही में विभिन्न वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना भी शामिल होगा।

22. संस्थान के कोष में प्राप्त धन को जमा करने या निवेश करने का तरीका -

- (1) दायरा:
 - नीति में संस्थान द्वारा प्राप्त सभी निधि, अर्थात्, सरकार से प्राप्त धन, समय-समय पर संस्थान द्वारा प्राप्त धन, शुल्क और अन्य प्रभार, बंदोबस्ती, छात्रवृत्ति, अनुदान, जमा, उपहार, दान, वसीयत, उपकार शामिल हैं।
- (2) मार्गदर्शक सिद्धांत और प्राधिकरण: भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के मानक 13 (निवेश के लिए लेखांकन) निवेश के वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और प्राधिकरण होंगे।
- (3) निवेश के लिए दिशानिर्देश सामान्य:

- (क) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देश जो भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग और भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हैं:
- (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 11 की उप-धारा 5;
- (ग) इन नियमों के भाग का गठन बनने वाले शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देश, शिक्षा विभाग के 8 मई 2017 के परिपत्र सहित (और इसके अन्य संशोधन, जो भी लागू हों)।
- (4) निवेश संबंधित दिशानिर्देश संस्थान के लिए विशिष्ट:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों जो संस्थान पर लागू हों और संस्थान के संचालन की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखते हुए, अधिशेष निधियों को निम्नानुसार निवेश किया जाएगा, जैसे: -

- (क) किसी भी निवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुरक्षा, तरलता और लाभ के क्रम में होंगे। कोई भी निवेश करते समय, संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वैधानिक दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन हो;
- (ख) जमा राशि की सुरक्षा पर मुख्य ध्यान देते हुए, बहुत अधिक निवल मूल्य वाले बड़े बैंकों में निवेश करना पसंद किया जाएगा, जब तक कि इनसे प्राप्त होने वाला लाभ तुलनात्मक रूप से कम न हो;
- (ग) निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में, यद्यपि प्रस्तावित दर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक हो सकती है, उनके साथ जमा करने का निर्णय उनके प्रकाशित खातों और विश्वसनीय बाजार रिपोर्टों के आवधिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, ताकि सुरक्षा, तरलता और लाभ के उद्देश्य उसी क्रम में पूरे हो सकें;
- (घ) वर्तमान समय में संस्थान द्वारा म्यूचुअल फंड को निवेश का विकल्प नहीं माना जा सकता है;
- (ङ) संस्थान द्वारा आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों से युक्त धन को संस्थान द्वारा अल्पकालिक या दीर्घकालिक निवेश माना जा सकता है, लेकिन सरकार से मिलने वाले धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनके लिए उन्हें अनुमित दी गई है, और किसी भी अस्थायी रूप से अप्रयुक्त रकम को केवल अल्पकाल के लिए निवेश किया जाना चाहिए;
- (च) जब शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान का निवेश करना हो (अल्पावधि के लिए), संस्थान कुल उपलब्ध राशि पर विचार कर सकता है, पूंजी और राजस्व श्रेणियों के बीच किसी विशिष्ट भेदभाव के बिना;
- (छ) सावधि जमा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और अन्य सभी निवेश (पात्र साधनों में) अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए किए जाएंगे;
- (ज) प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने के दौरान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, तिमाही वार संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा और वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाएगा;
- (झ) नगदी प्रवाह विवरणियों को इस तरह के प्रारूप में तैयार किया जाएगा कि वे अधिशेष धन और प्रकृति, सीमा और उपयोग की श्रेणी का निर्धारण करने में मदद करें:
- (ञ) निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने के लिए, प्रति-बैंक जोखिम सीमा का पालन किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर वित्त निवेश और लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है;
- (ट) वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठक में, अधिशेष धन और निवेश की स्थिति (पिछली तिमाही के दौरान किए गए निवेश सहित) की सूचना दी जाएगी। चूंकि समय महत्वपूर्ण घटक है, वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति द्वारा लिए गए निवेश संबंधी निर्णय (जैसा कि समिति के अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य-संयोजक द्वारा दर्ज किया गया है) शीघ्रतम उपलब्ध अवसर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए, बैठक के समापन के बाद, सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त की औपचारिक मंजूरी का इंतजार किए बिना।
- (5) शक्तियों का प्रत्यायोजन:

निदेशक और वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति शुल्क और अन्य प्रभार, अनुदान, सहायता, जमा, उपहार, दान, वसीयत, लाभ और स्थानान्तरण के रूप में एकत्रित धन के निवेश, अग्रिम और प्रबंधन पर, बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करेगी।

- (6) समीक्षा:
 - (क) निवेश के किसी भी तरीके में अनुभवात्मक सुधार के लिए समय-समय पर वित्त, निवेश, और लेखा परीक्षा सिमिति द्वारा निवेश के नियमों की समीक्षा की जाएगी;
 - (ख) विनियमों की मुद्रा के दौरान, दिशानिर्देशों और निर्धारण में कोई विचलन नहीं होगा। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, यदि संस्थान के हितों में कोई विचलन किया जाना चाहिए, तो वह बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के

साथ लागू किया जाएगा और विनियमों को उस सीमा तक, इस तरह के अनुमोदन की तारीख से, संसोधित माना जाएगा।

- 23. संस्थान की निधि के उपयोग का प्रबंधन- (1) संस्थान आंतरिक संसाधनों जैसे कि शुल्क, रॉयल्टी और शैक्षणिक, अनुसंधान और परियोजना गतिविधियों के लिए अन्य प्रभार के माध्यम से, साथ ही ज्ञान सृजन; सरकारों के अधीन या ऋणों के माध्यम से; और उपहार, दान, वसीयत, लाभ, बंदोबस्ती और व्यक्तियों, उद्योग या संस्थानों से स्थानांतरण के माध्यम से धन प्राप्त या उत्पन्न कर सकता है।
 - (2) इन निधियों का उपयोग संस्थान द्वारा उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया हो।
 - (3) संस्थान दीर्घकालिक विकास और संस्थान की स्थिरता के लिए एक कायिक निधि बना सकता है; और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बंदोबस्ती और अन्य धनराशि का भी सूजन कर सकता है, जिसके लिए आवंटन किए जा सकते हैं।
 - (4) धनराशि का उपयोग बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार होगा।
 - (5) संस्थान के अधिशेष या अप्रयुक्त धन का निवेश संबंधित विनियमन के अनुसार किया जा सकता है।
- 24. योग्यता, अनुभव, और संस्थान के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञों के समूह के चयन का तरीका- (1) संस्थान के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञों के समूह के चयन के तौर-तरीके शासी मंडल मनोनयन समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे।
 - (2) इस तरह के तौर-तरीके, अन्य मामलों के अलावा, निम्नलिखित पहलुओं में विभाजित होंगे, अर्थात्:-
 - (क) संस्थान के प्रदर्शन की समीक्षा पर विचार की जाने वाली स्वतंत्र एजेंसी भारत में स्थित एक अनुभवी और प्रतिष्ठित व्यवसाय या प्रबंधन परामर्श प्रतिष्ठान होगी;
 - (ख) अगर, विशेषज्ञों के एक समूह पर विचार किया जाता है, तो इसमें शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, सामाजिक सेवा या सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और समृद्ध अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होंगे:
 - बशर्ते कि समूह की कम से कम एक सदस्य महिला होगी;
 - (ग) भले ही चयनित इकाई एक एजेंसी हो या विशेषज्ञों का समूह, इसे भारत या विदेशों में प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों के दर्शन, नीति निर्माण, शासन और प्रदर्शन माप का अनुभव होगा और इसे प्रदर्शन संकेतक, नवाचार और प्रबंधन शिक्षा, प्रबंधन अनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों का पूरा ज्ञान होगाः
 - (घ) एजेंसी के मामले में, उनका चयन सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 में परिभाषित "परामर्श सेवाओं" की खरीद की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

25. शैक्षणिक परिषद की शक्तियां और कार्य-

- (1) संस्थान के निदेशक, जो शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष होंगे; डीन (अकादिमक और अनुसंधान), डीन (प्रशासन और छात्र मामले), और संस्थान के सभी संकाय सदस्य शैक्षणिक परिषद के सदस्य होंगे, जब तक कि यह संरचना बोर्ड द्वारा न बदली जाए, अधिनियम के प्रावधानों का विधिवत पालन करते हुए।
- (2) शैक्षणिक परिषद निर्दिष्ट करेगी:
 - (क) संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मापदंड और प्रक्रिया;
 - (ख) कार्यक्रमों और अध्ययन के पाठ्यक्रम की शैक्षणिक सामग्री और उसमें संशोधन;
 - (ग) शैक्षणिक कैलेंडर, परीक्षा के संचालन के लिए दिशा-निर्देश और डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक योग्यता या उपाधि की अनुशंसा।
- (3) शैक्षणिक परिषद निम्न अध्यादेश बनाएगी:
 - (क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश;
 - (ख) संस्थान के सभी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, और अन्य शैक्षणिक उपाधियों के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम;
 - (ग) वे शर्तें जिनके तहत छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक-शीर्षक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा, और संस्थान की परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा, और इस तरह शैक्षणिक उपाधि के पात्र होंगे;

- (घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदक और पुरस्कार वितरण की शर्तें;
- (ङ) जाँच निकायों, परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुक्ति की शर्तें और मॉडल और कर्तव्य;
- (च) परीक्षाओं का संचालन;
- (छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना; तथा
- (ज) ऐसे किसी भी अन्य मामले में जो यहां दिए गए विनिर्देशों से आकस्मिक रूप से जुड़ा हुआ हो या उन्हें प्रभावित करता हो।
- (4) शैक्षणिक परिषद निम्नलिखित कार्य भी करेगी, अर्थात्:-
 - (क) देश के भीतर या बाहर नए परिसर की स्थापना की सिफारिश करना;
 - (ख) मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रमों को बंद करने की सिफारिश करना;
 - (ग) भारत या विदेश में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, ऊष्मायन या उद्यमिता के शिक्षण और विकास जैसी गतिविधियों के लिए नए केंद्रों की स्थापना या बंद करने की सिफारिश करना;
 - (घ) भारत और विदेशों में संस्थान और अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और बिजनेस स्कूलों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग की स्थापना और रखरखाव की सिफारिश करना;
 - (ङ) संस्थान के विजन और मिशन के निर्माण और संशोधन में भाग लेना, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो सकता हो सकता है, और बोर्ड को सुझाव देना;
 - (च) नियमित अंतराल पर संस्थान के दीर्घ और अल्प अवधि के कार्यक्रमों, केंद्रों, गतिविधियों और क्षेत्रों की गतिविधियों की समीक्षा करना और, जहां भी आवश्यक हो, सुधार का सुझाव देना;
 - (छ) संस्थान में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार को संस्थागत करने और संशोधन के बारे में बोर्ड को सुझाव देना;
 - (ज) समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रदत्त ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करना और अन्य कार्य करना।
- 26. शिक्षण विभाग के गठन का तरीका.- (1) समय-समय पर परिवर्तन के दौर से गुजर रहे संस्थान के बाहर कॉर्पोरेट प्रबंधन और विकास प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, यह आवश्यक हो जाता है कि संस्थान के अंदर शैक्षणिक और अनुसंधान का माहौल भी तदनुसार बदले, और इस हेतु, संस्थान में स्कूलों, विभागों, क्षेत्रों, केंद्रों और कक्षों जैसी नई शैक्षणिक इकाईयों को बनाने, मौजूदा इकाईयों का नाम बदलने; विलय, उद्गम या उन्हें भंग करने की आवश्यकता हो सकती है।
 - (2) इस तरह की आवश्यकता समय-समय पर संस्थान के विज़न, मिशन और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में भी उत्पन्न हो सकती है।
 - (3) कुछ अकादिमक संस्थानों में पूर्णकालिक रूप से संलग्न या संबद्ध संकाय समूह हो सकते हैं। हो सकता है कुछ संस्थाओं में कोई पूर्णकालिक संकाय न हो, लेकिन उनके पास अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े संकाय हो सकते हैं जो उस अकादिमक इकाई के सदस्यों के रूप में एक साथ आते हैं और एक गतिविधि या साझा हित के विषय में विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं।
 - (4) अकादमिक संस्थाओं के गठन, पुनःनामकरण, विलय या उद्गम और विघटन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:
 - (क) एक इकाई के गठन, पुनःनामकरण, विलय या उद्गम और विघटन की आवश्यकता महसूस होने पर, निदेशक इसका अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त कर सकता है, संस्थान के बाहर और अंदर के बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए;
 - (ख) शैक्षणिक परिषद उद्धृत समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करेगी और बोर्ड की दृष्टि, नवाचार और रणनीतिक परिवर्तन सलाहकार समिति को सिफारिशें प्रदान करेगी;
 - (ग) समीक्षा के बाद, उक्त समिति बोर्ड को अपनी सिफारिश दे सकती है;
 - (घ) बोर्ड उक्त समिति की सिफारिशों पर उचित निर्णय ले सकता है।
- 27. समितियों और अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनके कर्तव्य और कार्य-

बोर्ड संदर्भित शर्तों के साथ निम्नलिखित बोर्ड उप-समितियों का गठन कर सकता है, जैसे:

- (1) अनुसंधान और शैक्षणिक सलाहकार समिति (आरएएसी) के संदर्भ की शर्तों में निम्न मामलों पर बोर्ड को सलाह और नीति निर्माण संबंधित सिफारिशें देना शामिल है:
 - (क) पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम संरचना और विकास; सामग्री और समकालीनता; शैक्षणिक और व्यवहार्य कार्यक्रमों की शिक्षा और वितरण; अनुसंधान की प्रासंगिकता और दृढ़ता में सुधार;
 - (ख) शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत विरष्ठता संरचना में निहित मापदंडों के साथ संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को संरेखित करना, जिसमें शिक्षण, अधिगम और संसाधन; अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास; विस्तार और समावेशिता; धारणा और स्नातक परिणाम शामिल हैं;
 - (ग) संस्थान के शैक्षणिक मानकों, अनुसंधान क्षमता, संकाय क्षमताओं, व्यवस्थाओं और सुविधाओं, अंतर्राष्ट्रीयकरण, उद्योग-संपर्क, बौद्धिक संपदा प्रबंधन, मान्यता और वरीयता में सुधार;
 - (घ) संस्थान सुविचारित शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार खुद को मजबूत करता रहे, उच्च लक्ष्यों की तलाश करे और मूल्य-वृद्धि और हितधारक-संतुष्टि में नए पड़ाव हासिल करे;
 - (ङ) संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए उत्पादकता मानदंड और प्रदर्शन संकेतक और शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के अनुप्रयोग में नवाचारों की प्रकृति सहित आंतरिक मानक;
 - (च) संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान के परिणाम-आधारित मूल्यांकन, अर्थात् शोध के विस्तार और विश्लेषण और इस तरह के अनुसंधान के गुणात्मक और मात्रात्मक परिणामों के साथ-साथ इसके प्रभाव कारक और सामाजिक परिणाम।
- (2) दृष्टि, नवाचार एवं रणनीतिक परिवर्तन सलाहकार समिति (वीआईएसटीएसी) के संदर्भ की शर्तों में बोर्ड को निम्न मामलों में नीतिगत सिफारिशें करना और उन्हें शामिल करना शामिल है:
 - (क) विभिन्न हितधारकों और व्यापक रूप से आम लोगों के मन में; संस्थान की सकारात्मक और संपोषणीय छवि निर्मित करना,
 - (ख) दृष्टि, मिशन, दीर्घकालिक रणनीति और लक्ष्य वर्ष के साथ संस्थान की आगामी योजनाओं, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, को कार्यान्वित कर, प्रबंधन शिक्षा, प्रबंधन अनुसंधान और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करने की दिशा में संस्थान की प्रगति में मदद करना, जैसा कि अधिनियम में निहित है;
 - (ग) संस्थान को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नीति, रणनीति, नियामक और शासन सुधार, प्रदर्शन निगरानी, प्रबंधन और मूल्यांकन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, ऊष्मायन, उद्यमिता प्रशिक्षण और विकास और सरकार और उद्योग के लिए क्षमता निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनाना;
 - (घ) वैश्विक दर्शकों के लिए सामयिक रुचि के रचनात्मक और अभिनव ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए संस्थान डिजिटल रूप से अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को समग्र रूप से रूपांतरित करने के लिए संस्थान को साधनों से सुसज्जित करना;
 - (ङ) संस्थान को एक विश्वसनीय स्रोत और कॉर्पोरेट प्रबंधन और विकास प्रबंधन में विश्वास योग्य थिंक-टैंक के रूप में विकसित करना:
 - (च) दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान करना और शिक्षा, अनुसंधान, और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों के लिए विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना जैसे विभाग, स्कूल, केंद्र, क्षेत्र, और प्रकोष्ठ;
 - (छ) भारत और विदेशों में संस्थान के परिसर या केंद्र स्थापित करना;
 - (ज) आत्मनिर्भरता और स्थिरता प्राप्त करने का रोडमैप।
- (3) मानव संसाधन विकास समिति (एचआरडीसी) के संदर्भ की शर्तों में बोर्ड को निम्न मामलों पर नीतिगत सिफारिशें और सलाह प्रदान करना शामिल है:
 - (क) मानव संसाधन विकास नीतियां जो संस्थान के विज़न और मिशन, मूल्यों और विकास योजनाओं के साथ संरेखित हो;
 - (ख) भर्ती, प्रतिधारण, मान्यता और पुरस्कार के लिए नीति मापदंड जैसे प्रोत्साहन और पदोन्नति और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुआवजा;

- (ग) संकाय विकास और मूल्यांकन समिति जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य मानदंडों के संबंध में संकाय के प्रदर्शन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करे;
- (घ) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सेवा नियम;
- (ङ) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र;
- (च) शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अधिगम और विकास के साधन।
- (4) शासी मंडल मनोनयन समिति (बीओजीएनसी) की संदर्भ शर्तों में निम्न मामलों में बोर्ड को सलाह और सिफारिशें देना शामिल है:
 - (क) अधिनियम और नियमों के अनुसार बोर्ड में प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन;
 - (ख) अधिनियम और नियमों के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थानों के पूर्व छात्रों को बोर्ड में सह-विकल्प;
 - (ग) संस्थान के उद्देश्यों की उपलब्धियों के संदर्भ में निदेशक के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा के संचालन के तौर-तरीके और निदेशक के परिवर्तनीय वेतन पर बोर्ड को सिफारिश करना:
 - (घ) संस्थान के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी या विशेषज्ञों के समूह की योग्यता, अनुभव और चयन का तरीका।
- (5) वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा समिति (एफआईएसी) के संदर्भ की शर्तों में निम्न बातें शामिल होंगी, लेकिन सीमित नहीं:-
 - (क) वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्टिंग, लेखा, लेखा परीक्षा (लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षा समिति), निवेश, बजट, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन जैसे मामलों पर बोर्ड को निगरानी, सलाह और सिफारिश सेवा प्रदान करना;
 - (ख) बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार व्यय के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
- (6) भवन और निर्माण समिति (बीडब्ल्यूसी) के संदर्भ की शर्तों में निम्न बातें शामिल होंगी, लेकिन यह उन तक सीमित नहीं होंगी, अर्थात्:-
 - (क) अस्थायी और नए परिसर में डिजाइन, इंजीनियरिंग, योजना, आकलन, खरीद, निविदा और निर्माण गतिविधियों जैसे तकनीकी मामलो, आर्किटेक्ट और परियोजना प्रबंधन सलाहकार, ठेकेदार और स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों सिहत तकनीकी सलाहकार, समय और लागत अनुमान के अनुसार गतिविधियों की प्रगति की निगरानी पर बोर्ड को निगरानी, सलाह और सिफारिश सेवा प्रदान करना;
 - (ख) बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार तकनीकी विवरण, विनिर्देशों, डिजाइन, आरेख, अनुमान और मात्रा और व्यय की मंजूरी के लिए प्रशासनिक अनुमोदन।
- (7) संस्थान की उन्नति, विकास और अच्छे कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड किसी अन्य उप समिति का गठन कर सकता है, ऐसे नियमों और शर्तों के साथ जिन्हें यह उपयुक्त समझता हो।
- (8) सभी समितियों पर लागू होने वाले सामान्य नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी, अर्थात्
 - (क) समितियों की संरचना बोर्ड द्वारा तय किए अनुसार हो सकती है;
 - (ख) सदस्य न होने पर भी, निदेशक सभी समितियों के लिए एक स्थायी आमंत्रिति होगा, जब तक कि चर्चा का विषय स्वयं निदेशक से संबंधित न हो:
 - (ग) क्षेत्र-विशिष्ट सिमितियाँ भवन और निर्माण सिमिति, वित्त, निवेश और लेखा परीक्षा सिमिति और ऐसी अन्य सिमितियां जिनका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जा सकता है, प्रत्येक में बोर्ड के कम से कम दो सदस्य होंगे, जिनमें से, किसी एक को सिमिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। सिमितियों में सदस्य के रूप में क्षेत्र विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। निदेशक सभी क्षेत्र-विशिष्ट सिमितियों का सदस्य होगा;
 - (घ) समितियों के अध्यक्ष समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए, उनकी सलाह और सुझावों का लाभ उठाने के लिए अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं;
 - (ङ) सिमिति की बैठकों के लिए कोरम (अध्यक्ष सिहत) वास्तव में बैठक बुलाने की तारीख के दिन सिमिति के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई सदस्यों के बराबर, या अगला उच्च पूर्णांक, होगा:

बशर्ते कि किसी भी रिजॉल्यूशन को अपनाने के लिए कोरम, परिसंचरण द्वारा किसी भी मद के लिए सिफारिश या अनुदान देना, व्यक्तिगत बैठकों के लिए आवश्यक संख्या से एक सदस्य अधिक होगा;

- (च) समितियां व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से जितनी बार आवश्यक हो मिल सकती हैं, लेकिन कम से कम हर तिमाही में एक बार अनिवार्य रूप से मिलेंगी;
- (छ) विचारों के आदान-प्रदान और विचारों के पार-निषेचन के लिए अंतर्दृष्टि और साझा अनुभवों का आदान-प्रदान करने हेतु, प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार संबंधित समितियों की संयुक्त बैठक हो सकती है:
- (ज) सिमितियों के सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए उन समान सुविधाओं, साधनों और परवहन व्यवस्था के पात्र होंगे जो उन्हें बोर्ड की बैठकों, इन नियमों में निर्दिष्ट, में शामिल होने पर प्राप्त होते हैं;
- (झ) समितियों की सिफारिशों को चर्चाओं, विचार-विमर्श और निर्णयों के लिए कम से कम छह महीने में एक बार बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा;
- (ञ) बोर्ड के सचिव, या निदेशक के परामर्श से बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा चिन्हित संस्थान का कोई अन्य अधिकारी, समितियों के कामकाज को सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा।

28. समितियों के कार्यों के संचालन में कोरम और प्रक्रिया-

- (1) सिमिति की बैठकों को सिमितियों के अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाएगा जो प्रत्येक तीन महीने में एक बार होंगी। बैठक की तारीख, उसका स्थान और अजेंडा अध्यक्ष तय करेगा।
- (2) सामान्य तौर पर, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना कम से कम पंद्रह दिन पहले दी जाएगी और, बैठक के बाद जितनी जल्दी हो सके, प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अध्यक्ष को और, उनकी मंजूरी पर, अन्य सदस्यों को प्रेषित की जाएगी।
- (3) सिमिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा, और किसी भी बैठक से उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आपस में चुने गए सदस्य द्वारा, की जाएगी।
- (4) आपातकाल या तत्काल विचार-विमर्श की आवश्यकता वाले विशेष मुद्दे के मामले में, अध्यक्ष अल्पावधिक सूचना देकर असाधारण बैठक बुला सकते हैं।
- (5) समिति की बैठकों के लिए कोरम (अध्यक्ष सहित) वास्तव में बैठक बुलाने की तिथि पर समिति में उपस्थित सदस्यों की संख्या का दो-तिहाई होगा, जिसे अगली संख्या तक पूर्णांकित किया जा सकेगा।
- (6) कोरम में शारीरिक उपस्थिति या ऑडियो या वीडियो लिंक द्वारा भागीदारी शामिल होगी।
- (7) यदि कोई बैठक कोरम की अपर्याप्तता के कारण स्थिगित कर दी जाती है, तो इसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किसी अन्य दिन और अन्य समय और अन्य स्थान पर आयोजित किया जा सकता है, और अगर इस तरह की बैठक में, बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधे घंटे पहले तक, यदि कोरम मौजूद नहीं है, तो उपस्थित सदस्य ही पर्याप्त कोरम माने जाएंगे।
- (8) परिसंचरण द्वारा किसी भी प्रस्ताव को अपनाने या किसी भी मुद्दे के लिए स्वीकृति प्रदान करने का कोरम व्यक्तिगत बैठकों के लिए आवश्यक संख्या से एक सदस्य अधिक होगा।
- (9) सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय मान्य होगी।
- (10) अध्यक्ष सिहत सिमिति के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट का अधिकार होगा और सिमिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी मुद्दे पर वोटों की समानता होने पर, अध्यक्ष को इसके अलावा एक अतिरिक्त वोट डालने का अधिकार होगा।
- (11) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

प्रोफेसर एम. चंन्द्रशेखर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./546/2020-21]

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, VISAKHAPATNAM NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2021

- **F. No. 34-1/2021-TS.V.**—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Indian Institutes of Management Act, 2017 (33 of 2017), the Board of Governors of the Indian Institute of Management, Visakhapatnam hereby makes the following Regulations, namely:—
- 1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Institute of Management Visakhapatnam Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on such date as the Board may appoint.
- **2. Definitions.** (1) In these First regulations, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Indian Institutes of Management Act, 2017;
 - (b) "Authorities", "Officers" and "Faculty" ("Assistant Professors", "Associate Professors", "Professors", and Practice-track Faculty) mean the authorities, officers, and faculty of the Institute respectively;
 - (c) "Board of Governors Nominations Committee" or "BoGNC" means the Board of Governors Nominations Committee constituted by the Board of Governors of the Institute, as per the Rules;
 - (d) "Building and Works Committee" or "BWC" means the building and works committee constituted by the Board of the Institute;
 - (e) "Chief Audit Executive" means the Chief Audit Executive of the Institute, as appointed by the Board;
 - (f) "Courses" means programs of study or subjects, as per the context, offered by the Institute;
 - (g) "Dean (A and R)" means the Dean (Academics and Research) of the Institute;
 - (h) "Dean (A and SA)" means the Dean (Administration and Student Affairs) of the Institute;
 - (i) "Faculty Application Screening Committee" or "FASC" means the faculty application screening committee constituted by the Director in accordance with the structure approved by the Chairperson of the Board;
 - "Faculty Seminar Assessment Committee" or "FSAC" means the faculty seminar assessment committee constituted by the Director in accordance with the structure approved by the Chairperson of the Board;
 - (k) "Faculty Interview Committee" or "FIC" means the faculty interview committee constituted by the Director in accordance with the structure approved by the Chairperson of the Board;
 - (l) "Faculty Development and Evaluation Committee" or "FDEC" means the faculty development and evaluation committee approved by the Board;
 - (m) "Finance, Investment and Audit Committee" or "FIAC" means the finance, investment and audit committee constituted by the Board;
 - (n) "Government" means the Central Government or the Government of India;
 - (o) "Human Resources Committee" or "HR" Committee means the human resources committee constituted by the Director in accordance with these regulations on the recruitment, promotion, and service conditions of the non-teaching staff of the Institute;
 - (p) "Human Resources Development Committee" or "HRDC" means the human resources development committee constituted by the Board as its Sub-Committee;
 - (q) "Institute" means the Indian Institute of Management Visakhapatnam under Column (5) at Sl. No.17 of the Schedule of Section 4 (1) of the Act;
 - (r) "Internal Audit Committee" means the internal audit committee constituted by the Director;
 - (s) "Ministry of Education" or "MoE" means the Ministry of Education of the Government of India;
 - (t) "Programme" or "Program" means a Degree, Diploma, Certificate, or such academic-title-granting program of the Institute;

- (u) "Ordinances" means the ordinances made by the Academic Council of the Institute and approved by the Board;
- (v) "Research and Academic Advisory Committee" or "RAAC" means the research and academic advisory committee constituted by the Board as its Sub-Committee;
- (w) "Rules" means the Indian Institutes of Management Rules, 2018;
- (x) "Secretary to the Board" means the Secretary to the Board of Governors of the Institute;
- (y) "Vision, Innovation and Strategic Transformation Committee" or "VISTAC" means the vision, innovation and strategic transformation committee constituted by the Board as its Sub-Committee.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act or the Rules, shall have the same meanings respectively, as assigned to them in the Act or the Rules.

3. Experience and manner of nomination of four eminent persons to the Board.-

- (1) The Board of Governors Nominations Committee shall be formed normally two months prior to the arising of any vacancy on the Board;
- (2) The Committee shall undertake search to identify for membership, eminent persons who have distinguished themselves and having rich experience in the field of education, industry, commerce, social service or public administration;
- (3) The Committee may recommend a minimum of two names to the Board for each vacancy;
- (4) The Chairperson of the Board shall chair the meetings of the Committee. In his or her absence, the members present in the meeting may choose one among them to preside over the meeting;
- (5) All decisions and orders of the Committee shall be approved by the Chairperson of the Committee;
- (6) The procedures relating to the meeting, preparation, and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall apply to the meetings of this Committee;
- (7) Generally, the notice period for a meeting of the Committee will be of one week;
- (8) The minutes of the meetings of the Committee or resolutions of the Committee shall be placed before the ensuing meeting of the Board for noting, ratification or consideration, as the case may be;
- (9) The Board may nominate members from the list recommended by the Committee, to fill the vacancy of an eminent person. The Board may also request the Committee to rework the list afresh in full or part, for wider choice;
- (10) Representation for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and women members on the Board would be ensured in accordance with the Act.

4. Manner of nomination of faculty members to the Board.-

- (1) Eligibility for nomination:
 - (a) A faculty member to be eligible for nomination on the Board must be at least thirty years of age:
 - (b) He or she must be a good contributor to all the four facets of work in the Institute, namely, teaching, research, service to the profession and service to the Institute;
 - (c) He or she must have at least five years of work experience, including experience prior to joining the Institute;
 - (d) He or she must have a positive attitude, demonstrate maturity, and possess leadership qualities;
 - (e) He or she has a residual service of at least two years in the Institute, as on the date of vacancy;
 - (f) Normally, faculty members considered for nomination shall be of Indian Institute of Management Visakhapatnam only. However, in the event faculty members of the mentor institute are considered (as provided for under the Rules), recommendations of the Director of the mentor institute shall be sought on the list of possible nominees, fulfilling the above criteria.

(2) Process of Nomination:

(a) Nomination of faculty members to the Board under clause (e) of sub-section (2) of section 10 of the Act shall be initiated by the Director normally three months prior to the position becoming vacant on completion of the term of appointment;

- (b) In case the position falls vacant on account of resignation or other unanticipated reasons, the Director shall initiate the process within one month from the date on which vacancy arises;
- (c) For every vacancy, names of at least two potential nominees meeting the criteria shall be suggested by the Director, along with the justification therefor;
- (d) The Director may consult the past or present Deans, Area or Activity Chairs of the Institute or of the mentor institute, for arriving at his recommendations;
- (e) The Chairperson of the Board may thereafter nominate such faculty members to the Board, as he or she deems fit, upon satisfying himself or herself of their suitability and credentials;
- (f) Faculty members on the Board may be nominated for a second consecutive term by following the usual procedure;
- (g) A faculty member may be removed from the Board on the grounds as provided under sub-rule 5 of rule 4 of the Rules.

(3) Representation:

Representation for the Scheduled Caste or Scheduled Tribe and women members on the Board shall be ensured in accordance with the Act.

5. Ouorum and procedures to be followed in the conduct of meetings of the Board.-

- (1) The Chairperson shall summon the meetings of the Board which shall ordinarily meet once every three months. The Chairperson shall decide the date of the meeting, its location and fix the agenda.
- (2) Normally, not less than fifteen days' notice shall be given for every meeting of the Board and a copy of the proceedings of every meeting shall be furnished to the Chairperson and upon his clearance, to the members, as soon as practicable after the meeting.
- (3) Every meeting of the Board shall be presided over by the Chairperson and, in his absence from any meeting, by a member chosen from amongst themselves by the members present at the meeting.
- (4) The Chairperson can call an extraordinary meeting at a short notice in case of emergency or to consider urgent special issues.
- (5) The quorum for the Board meetings (including the Chairperson) shall be one-half of the strength of members actually present on the Board as on date of summoning the meeting, rounded off to the next higher integer.
- (6) Quorum shall include participation by physical presence or via audio or video link.
- (7) If a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on such other day and such other time and place as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the time appointed for holding a meeting, the members present shall be the quorum.
- (8) The quorum for adoption of any resolution or granting approval for any item by circulation shall be one member higher than the number required for the physical meetings.
- (9) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (10) Each member of the Board including the Chairperson shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Board, the Chairperson shall in addition have and exercise a casting vote.
- (11) The decision of the Chairperson in regard to all questions of procedure shall be final.
- 6. Manner of authentication of orders and decisions of the Board and maintenance of records thereof.

 (1) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Secretary of the Board, or the Director, or by any other person authorised by the Chairperson of the Board.
 - (2) The Secretary of the Board, or the Director, or any other person authorised by the Chairperson of the Board shall act, individually, jointly or severally as the case may be, as the custodian of data, records, common seal, funds of the Institute and any other property of the Institute.
- 7. Allowances for Board members for attending meetings of the Board.- (1) There shall be no sitting fee payable to the members of the Board of Governors for attending the meetings of the Board, physically or virtually, for a period of five years from the date of establishment of the existing Institute.
 - (2) Members of the Board attending the meetings shall be eligible for travel by air in business class (or by any mode limited to the expenditure of business class travel) and hospitality facilities.

- (3) Members shall also be eligible for payment of incidentals and out-of-pocket expenses, based on declaration.
- 8. Tenure, remuneration and terms and conditions of employees in service before the commencement of the Act.- (1) The tenure, remuneration and terms and conditions of employees in service shall be or shall continue as per the norms of the mentor institute, namely, Indian Institute of Management Bangalore.
 - (2) Every person employed by the Institute immediately before the commencement of these regulations shall hold his or her office or service in the Institute, with the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to leave, gratuity and other matters as applicable, as he or she would have held had the regulations not been effected and shall continue to do so unless and until his or her employment is terminated; or until such tenure, remuneration and terms and conditions of service are altered following a process of appointment pursuant to these regulations.
- 9. Number, emoluments, duties, and conditions of services of staff of academic, administrative, technical, and other posts.- (1) The recruitment of faculty (teaching-staff) shall be in the ratio of one faculty for every ten students of all long-duration academic programs, considered as a whole. Within that ambit, vacancies, and level of faculty, as Assistant, Associate and Full Professors on regular basis or as practice-track faculty, in flexi-cadre, are determined by the Institute based on needs.
 - (2) The strength of the sanctioned non-teaching staff (administrative, technical, and other posts) to that of the teaching staff (faculty) shall normally be in the ratio of 1.1:1.
 - (3) The cadre-wise posts, scales of pay and classification; the criteria for promotion; and the terms and conditions governing the recruitment or promotion (including on deputation) for the non-teaching staff shall be as per the approvals that the Board may accord, from time to time.
 - (4) Emoluments of teaching and non-teaching staff on regular rolls of the Institute are as applicable in Indian Institutes of Management, as per the Government of India guidelines and norms.
 - (5) Duties and conditions of service of faculty are determined functionally and administratively. Functionally, they shall be determined under the work norms consisting of four pillars, namely, (i) teaching, (ii) research, (iii) service to the institute, and (iv) service to the profession, as may be approved by the Board; and, administratively as per the terms and conditions of their employment.
 - (6) For faculty, the total minimum expectation of work per year across the three dimensions, namely, (i) teaching, (ii) research, and (iii) service, shall be one hundred and sixty units. The breakup across the three dimensions is a minimum of ninety units for teaching, and seventy units for research and service activity combined; A year in this context being defined as the academic year, namely, 1st June to 31st May.
 - (7) At least sixty units of teaching must come from long duration programs.
 - (8) However, in case of more than one faculty teaching a course, credits shall be shared proportionately. This shall be applicable, even when the course is shared with a faculty who is not a faculty member in the Institute.
 - (9) Any deficit in the research plus service work units shall be compensated from additional work units earned from teaching beyond ninety units. However, additional units of research plus service earned beyond seventy units cannot be used to compensate for deficit in teaching, except in certain instances as provided herein.
 - (10) It shall be permissible to transfer credits from teaching to research plus service and vice-versa. The rules governing this transference are such that between the two baskets, namely (i) teaching, and (ii) research plus service, those activities defined as 'compensating' shall be eligible to go directly into the teaching basket.
 - (11) Those activities defined as 'non-compensating' cannot directly go into the teaching basket. They shall go into the teaching basket only if there is a deficit. That is, only if the total number of units obtained from activities labeled as 'compensating' is less than ninety, shall they go into the teaching basket. Further, units can go in only till the total becomes ninety. The activities labeled as 'non-compensating' can only be used to cover the work deficit in teaching. All activities labeled 'non-compensating' can also be used to cover the work deficit in 'research plus service' basket.
 - (12) Whenever the total work units earned in the 'teaching' basket exceeds ninety, the faculty member concerned shall be eligible for additional compensation, provided there is no deficit in the 'research plus service' basket. The compensation amount shall be as may be approved by the Board. The 'non-compensating' points over seventy are not compensated. Only the 'compensating' points over ninety are compensated. The extra compensation paid shall be only from the surplus generated by executive education programs.

- (13) The faculty shall have the option of carrying forward additional units earned from teaching in one year to the next year, in lieu of getting compensated. Similarly, any deficit in teaching units can be carried forward and made up in the next year. Work units which accrue to faculty are averaged at the end of three consecutive academic years.
- (14) Credits earned from the four pillars of the work norms, namely, teaching, research, service to the Institute and service to the profession shall be in accordance with the activity-wise credits, quantum of units for each activity, nature of credit units (namely compensating or non-compensating), ceilings and special conditions in respect thereof as may be approved by the Board from time to time.
- (15) The total minimum expectation of work per year across the pillars of the work norms and the minimum requirement of fulfillment under each pillar, and the definition of the year of reckoning, shall be as may be approved by the Board from time to time.
- (16) Duties of teaching and non-teaching staff shall be in accordance with the terms of their employment. Conditions of service shall be in accordance with the Central Civil Services Rules 1964 and 1965.

10. Qualifications, classification, terms of office and method of appointment of the academic, administrative, technical, and other staff of the Institute –

- (1) The guidelines issued from time to time by the Ministry of Education, Government of India shall be followed as regards the qualification, quantum, and nature of experience, for appointment of teaching staff
- (2) The terms and method of appointment of teaching staff shall be in accordance with the recruitment and selection process as may be approved from time to time, by the Board.
- (3) For non-teaching staff, minimum qualification required shall be graduation for all Pay Band-2 positions; and post-graduation for all Pay Band-3 and Pay Band-4 positions. Qualifications shall be recognised in law and have relevance to the cadre or function. Minimum age for appointment shall be 26 years. Maximum age shall be 40 years, 45 years, and 55 years for Pay Band-2, Pay Band-3 and pay Band-4 positions, respectively. Age relaxations (above these ceilings) shall apply as per the Government of India norms; Experience requirement shall be up to 12 years, 20 years, and 28 years for Pay Band-2, Pay Band-3 and Pay band-4 positions, respectively.
- (4) Recruitment of faculty shall be carried out on rolling basis.
- (5) Faculty Application Screening Committee, Faculty Seminar Assessment Committee and Faculty Interview Committee as per the structure approved by the Chairperson of the Board and composition decided by the Director, shall carry out the process of screening and selection.
- (6) Chairperson of the Board shall approve the appointment of faculty, acting on the recommendations of the Faculty Interview Committee. The Board shall be apprised of the same.
- (7) Within the ambit of sanctioned strength, vacancies of non-teaching staff (cadre-wise, function-wise, post-wise, level, scale-wise) are arrived at, from time to time, by the Human Resources Committee constituted by the Director.
- (8) Upon recommendation of the vacancies, determination of job description and other (special) requirements by the Human Resources Committee and approval by the Director, the process of recruitment to fill up the posts through various methods such as direct recruitment, promotion, deputation, one-time lateral movement shall be adopted, by means of a duly constituted Selection Committee.

(9) Direct Recruitment:

- (a) All positions at pay level-6 of the seventh Central Pay Commission shall be filled by direct recruitment. Positions at pay levels-7 and upward would be filled through promotion or direct recruitment. Positions at levels-13A and 14 shall be filled on fixed-tenure terms only;
- (b) In accordance with the guidelines contained in the General Financial Rules, 2017, requirement of personnel in functions for positions below pay level-6 shall be addressed through outsourcing;
- (c) The Institute shall invite applications for the posts categorised as "direct recruitment", duly advertising them;
- (d) The detailed advertisement shall be published on the official website of the Institute; and a short and indicative advertisement shall be published in print-media of repute and having nation-wide circulation, drawing the attention of the prospective applicants to the details available on the website of the Institute;

- (e) Screening-cum-shortlisting committee and Selection Committee for the advertised posts, cadrewise and position-wise, shall be constituted with the approval of the competent authority. Where there are Scheduled Caste, Scheduled Tribe or women candidates, there shall be corresponding representation on the respective committees;
- (f) Applications received shall be scrutinised by the screening-cum-shortlisting committee for eligibility as per these regulations and other cadre and position-specific criteria. The committee may restrict the candidates to be called for the next stages of the selection process to a reasonable number, based on criteria that it may determine as appropriate, higher than the minimum prescribed;
- (g) After due approval of the competent authority, the shortlisted applicants shall be called to appear before the selection committee;
- (h) The Selection Committee shall have the freedom to choose one or more methods of selection such as test, presentation and interview and to formulate performance-evaluation criteria for the selection process, cadre-wise and position-wise;
- (i) Recommendations of the Selection Committee shall be put up to the competent authority for approval;
- (j) For the selected candidates, pay-fixation shall be arrived at, based on such factors as the recommendations of the Selection Committee and relevant Government of India guidelines;
- (k) Offers with the terms of appointment shall be made to the selected candidates, with the approval of the competent authority.

(10) Promotion:

- (a) An available vacant position may be filled by promotion if it is earmarked as such;
- (b) The Institute shall initiate the process of promotion following these regulations and submit such proposals to the competent authority, for approval;
- (c) A Selection Committee [Departmental Promotion Committee or DPC], cadre-wise, shall be constituted with the approval of the competent authority, for conducting the promotion process for internal applicants;
- (d) Where there are Scheduled Caste, Scheduled Tribe or women candidates, there shall be corresponding representation on the committee;
- (e) The committee shall take into consideration such factors as the eligibility requirements for the posts as per these regulations; annual performance appraisal reports; requirement of additional or desirable qualifications; disciplinary action imposed (if any), proactive initiatives undertaken and contribution to institution-building by each candidate;
- (f) The committee shall have the freedom to choose one or more methods of selection such as presentation and interview. It shall also be free to formulate performance-evaluation criteria for the selection process, cadre-wise, position-wise;
- (g) The committee shall recommend the names of selected candidates in the order of merit for approval of the competent authority;
- (h) Offers with terms of appointment shall be made to the selected candidates, with the approval of the competent authority.
- (11) Appointment by deputation and absorption in the services of the Institute of such personnel on deputation shall be in accordance with the rules of the Government of India;
- (12) As a transitory provision pursuant to sub-section (d) of section 5 of the Act, relaxations as may be recommended by the Human Resources Committee and approved by the competent authority may be extended as a one-time measure for lateral movement, at the time of implementation of these regulations for the first time;
- (13) Acting on the recommendations of the Selection Committee, the Director as the competent authority shall approve appointments of non-teaching staff up to and including that of pay-level-12 of seventh Central Pay Commission, or equivalent thereof, in future. All appointments to posts higher than pay-level-12 shall be approved by the Chairperson of the Board, as the competent authority;
- (14) The Government of India guidelines and norms on reservations and relaxations shall apply in recruitment of faculty and non-teaching staff belonging to disadvantaged sections and other deserving categories. Special recruitment drives may be taken up, as needed;

- (15) The Faculty Development and Evaluation Committee approved by the Board carries out an independent evaluation of the performance of the faculty with respect to the Board-approved work norms and makes its recommendations to the Director;
- (16) The Director takes the recommendations of the said Committee, along with his or her views thereon for the consideration of the Chairperson of the Board, on the service matters of the faculty;
- (17) The Chairpersons of the programs and activities are normally the reporting authorities for the non-teaching staff. The Deans or faculty assigned such responsibilities shall be the reviewing authority; and the Director shall be the accepting or controlling authority, where the Director is the appointing authority. The service matters of staff shall be dealt with accordingly. Above the delegated authority of the Director, matters shall be put up to the Chairperson of the Board for consideration and approval.
- 11. Constitution of pension, insurance, and provident funds for the benefit of the academic, administrative, technical, and other staff.- (1) Benefits like pension or provident fund; earned leave encashment and gratuity, as applicable, may be extended to the teaching and non-teaching staff, in accordance with the guidelines of the Government of India as applicable to central autonomous bodies and as the per the terms and conditions of employment of the staff members concerned.
 - (2) Contributions of both the employee and the employer to the pension or provident fund, as applicable and as per the respective statutory guidelines, shall be remitted to the respective authorised agencies, for administration and management of the funds.
 - (3) For the purpose of administration and management of the contributions towards leave encashment and gratuity, the Institute may constitute funds as independent trusts under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882); or may engage the services of the specified entities authorized in law such as the Life Insurance Corporation of India, as may be approved by the competent authority of the Institute.
 - (4) In the event of formation of a trust, the conduct of business, functions and powers of the trust and the Board of Trustees shall be in accordance with the relevant law for the time being in force; and the management, investment, administration and control of the fund shall be vested in the Board of Trustees of such fund:

Provided that no decision of the Board of Trustees affecting the interests of the Institute shall be binding on the Institute.

- (5) Till such time the management of contributions towards earned leave encashment and gratuity is not entrusted to any specified entity as stated herein, the Institute may manage the same in accordance with the regulation on investments approved by the Board of Governors; and maintain the relevant books of account as required under law for the time being in force.
- 12. Regulations for the admission of candidates to the various courses of study.- (1) The Institute shall be open to all persons without any discrimination on the basis of gender, race, creed, caste or class, and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession in admitting students.
 - (2) Transparent policies shall be followed for admission of candidates to all long-duration, academic-title granting programs of the Institute. These courses of study shall be in conformity with the UGC Act, 1956. The policies shall duly consider the Government of India guidelines and norms on reservations and relaxations for the admission of students belonging to disadvantaged sections and other deserving categories.
 - (3) The process of admission, the criteria, and their weightages for admission to each academic title granting program of the Institute shall be laid down by the Academic Council by way of ordinances and approved by the Board.
 - (4) The Institute shall ensure that no deserving candidate will be denied admission on account of his or her financial incapacity. The Institute shall ensure that all deserving candidates receive adequate financial aid required to meet the financial needs for the completion of the program.
- 13. Regulation for conferment honorary degrees.- (1) The Academic Council of the Institute shall make ordinances for conferring of the honorary degrees, honorary awards and other distinctions on any person, who may have distinguished himself or herself in the field of industry, commerce, education, science, technology, management, public administration, social service or such other field of benefit to the government, business or society at large.
 - (2) The Academic Council may meet exclusively, once a year, normally about three months before the date of the convocation, to consider and make recommendations on the references received; or *suo moto* make recommendations on suitable names for the conferment of honorary degrees, honorary awards or other distinctions, in accordance with the approved ordinances.

- (3) The Academic Council shall submit such recommendations to the Board.
- (4) To avail assistance in this regard, the Board may, if deemed fit, constitute a sub-committee of itself, or an external expert committee or a combination of both so that an objective and evidence-based determination of the nature and extent of fulfilment of the criteria by the persons under consideration, could be made.
- (5) Thereafter, the Board, in accordance with the provisions of the Act, and acting on the recommendations of the Academic Council and the Committee as aforementioned, may take a decision on conferring honorary degrees, honorary awards and other distinctions on the persons concerned.
- **14. Fees for various courses of study and examinations in the Institute.-** (1) The Board shall determine the fee for each batch of each long-duration academic program that leads to grant of an academic title.
 - (2) The program fee once notified for a batch will not be revised for that batch and the students of a batch will pay the same annual program fee during the duration of the program.
 - (3) The Board shall be guided by the following principles for the determination of the program fee, namely:-
 - (a) The program should be financially self-sustainable, after accounting for the recurring financial support for the program (if any) received from the Government concerned or the sponsor;
 - (b) The program fee shall be reasonable and be in line with the fee being charged by other similarly placed Institutions;
 - (c) In case of the flagship master's degree program, the fee shall generally not exceed the average annual salary package being offered to the outgoing batch in the year in which fee is being determined;
 - (d) The changes in the program fee shall be gradual and predictable and not abrupt. In order to ensure this, normally, the program fee should be increased by about five percent for every batch, provided that such an increase is justified by increase in costs and other relevant factors.
 - (4) Methodology for determination of program fee:
 - 1. A proposal for fixation, review, or revision of the program fee (for the following academic year) will normally be brought to the Board well in advance, with details of the estimated expenditure for the duration of the program and other relevant information;
 - 2. In case of review and revision of fee, the estimated expenditure will be based on the actual expenditure on various heads in the financial year most recently concluded, the approved budget for various heads for the financial year in progress and estimate for the following financial year;
 - 3. All the expenses which are directly attributable to the program will be included in full while expenses which are of an indirect nature will be apportioned to the program and other courses of study based on an allocation method defined by the Institute. However, till such time the fee receipts from other courses of study are not more than ten percent of the fee receipts from the flagship master's program, the entire indirect costs will be apportioned to the flagship master's program. Revisions would be based on experience gained.
 - (5) The program fee shall be paid by students in instalments, called the term-fee or semester-fee.
 - (6) The Institute shall notify the details of the instalments, schedule, and other conditions for payment of the fee, in the student handbook for the batch.
 - (7) The Institute shall endeavor to cause all payments of fee by students by way of digital means, within the schedules notified.
- **15. Fellowships, scholarships, exhibitions, medals, and prizes.-** The Institute will award fellowships, scholarships, medals, and prizes to meritorious students as per the criteria approved by the Academic Council, and in accordance with the ordinances approved by the Board.
- 16. Conditions of residence of students of the Institute and levying of fees for residence in the halls and hostels and other charges.- (1) The students are the stewards of the Institute and shall ensure maintenance of the dignity of the Institute in all their actions, speech, and conduct at all times inside the hostel, campus and outside of it. The same code and expectation shall extend to their conduct while residing in the hostel.
 - (2) It is mandatory for all the students of the flag-ship master's program to stay in the hostel. The hostel and mess rules and the do's and don'ts shall be laid down clearly in the student handbook, a copy of which shall be provided to each student at the time of registration.

(3) Levy of fee for residence in the halls and hostels and other charges shall consider the expenditure to be incurred typically on account of: (i) hostel rent or attributable cost; (ii) housekeeping; (iii) security services; (iv) repairs and maintenance; (v) electricity and water; (vi) communication and internet; (vii) student-welfare activities; (viii) mess-subsidy; (ix) health and travel insurance; (x) depreciation; and (xi) local transport (shuttle services).

17. Delegation of powers and functions of the Board to the Director.-

- (1) Administrative Powers:
 - (a) academics and research matters:
 - to implement, design, redesign, revise any existing or new full or part-time programs of study, training or capacity-building programs and research, approval of the Academic Council (under the Act) being mandatory in respect of all programs leading to the award of academic titles to be conferred by the Board;
 - (ii) to enter into student-exchange or immersion program agreements with Indian and foreign universities and institutions, (preferably) on reciprocal basis;
 - (iii) to enter into collaborative arrangements with Indian or foreign institutions or organizations for academic or training programs, research projects or other knowledge-sharing endeavors, insofar as such activities have (potential) benefits to the Institute;
 - (iv) to undertake publication of Institute's journals, periodicals, news-letters and other material in print, online or social media towards furtherance of Institute's objectives, work programs and activities;
 - (v) to accept research or consultancy projects and assignments; and to assign the project to one or more faculty. The details of such projects, together with the names of the faculty to be included in the Director's Report to the Board, each year;
 - (vi) to accept recurring grants, sponsorships; enter into collaborative arrangements or accept endowments for establishing Faculty Chairs from individuals, institutions and companies in India, and from bilateral or multilateral funding institutions, with the interest income from such endowments expected to cover all the expenditure for the said Chairs;
 - (vii) to apply for and obtain patents and copy rights in respect of the intellectual property in the name of the Institute or jointly with another party;
 - (viii) to commercially exploit intellectual property rights and enter into suitable arrangements with the parties concerned, duly protecting the interests of the Institute.

(b) Executive Education Matters:

To implement, design, redesign, revise any existing or new, open, customized and partnership programs and international programs, to approve the target participation and budget, including the fees to be charged in respect thereof.

(c) Teaching Staff Matters:

- to administer and implement recruitment processes, terms and conditions of service in respect of regular faculty in accordance with the notifications issued from time to time by the Ministry of Education as applicable to Indian Institutes of Management; and the approvals accorded by the Board;
- (ii) to engage practice-track or adjunct faculty in consultation with the program committee concerned, as per the approvals accorded by the Board and guidelines of the Ministry of Education and fix their remuneration and other terms of engagement in accordance with the recommendations of the Selection Committee, constituted in respect thereof;
- (iii) to engage visiting or guest faculty in consultation with the program committee concerned and fix their honoraria and other terms of engagement;
- (iv) to accord permission to faculty to accept part-time nomination on the Boards, academic, advisory and other oversight or governing bodies of institutions or organisations, after due diligence exercise of due discretion; and ensuring that there is no conflict of interest or adverse financial implications. Such time spent or honoraria earned to be accounted under professional activities (as part of the terms and conditions of employment) approved by the Board. Such nominations to be reported to the Board in the "Director's Report", every year.

(d) Non-Teaching Staff Matters:

- (i) to act as the appointing authority for non-teaching staff as per the relevant regulations;
- (ii) to administer and implement recruitment processes; and terms and conditions of service in respect of non-teaching staff in accordance with the notifications issued from time to time by the Ministry of Education as applicable to Indian Institutes of Management; and the approvals accorded by the Board;
- (iii) to appoint project-tied, temporary academic and research support staff and fix their remuneration and other terms of engagement based on the recommendations of the Selection Committee, constituted in respect thereof;
- (iv) to engage professionals as specialists or consultants on fixed-tenure (including on retainership) basis for technical assistance, advisory or professional services and fix their remuneration and other terms of engagement in respect of any specific task-related and project-oriented requirements;
- (v) to accept resignation from service and waive or condone notice period (in full or part) of those non-teaching staff for whom the Director is the appointing authority;
- (vi) to terminate temporary appointments of non-teaching staff by giving the required notice or payment of salary in lieu thereof, as deemed necessary.

(e) Institutional Matters:

- to do all such things and activities in respect of academic, research and administrative functions of the Institute and exercise administrative powers and financial powers within the delegated authority;
- (ii) to defend on behalf of the Institute or refer cases to arbitration, to execute and sign contracts, memoranda of understanding, lawsuits, legal documents, indemnity bonds, and to do all such things and activities in the management of the affairs of the Institute;
- (iii) to do all such things and activities for advancing the pursuit of the Institute in academic, research and allied areas of knowledge, in accordance with the provisions and objectives of the Act:
- (iv) to register the Institute under any law of land as may be applicable and needed; sign declarations, undertakings or certificates as required thereunder;
- (v) to register the Institute for recognition or accreditation under any reputed national or international body or organisation;
- (vi) to appoint committees with internal or external teaching or non-teaching staff or a combination thereof, towards accomplishment of specific tasks and projects and towards achieving the larger objectives of the Institute and to fix the sitting fee and remuneration of external members:
- (vii) to constitute, in respect of acts of commission or omission by the Students, teaching and non-teaching staff, inquiry or other committees and appoint relevant authorities (inquiry officer, presenting officer, disciplinary authority, appellate authorities);
- (viii) to approve (with amendments, if any) and impose penalties, major and minor, as may be recommended by the committees concerned, in respect of students; and those non-teaching staff for whom the Director is the appointing authority; In respect of others, prior approval of the Chairperson would be necessary for implementing the penal actions;
- (ix) to appoint teaching and non-teaching staff to suitable administrative positions and to subdelegate administrative and financial powers to such personnel holding positions of administrative responsibility to the extent considered necessary and expedient, for smooth and efficient functioning of the Institute;
- (x) to formulate and implement rules, procedures, and guidelines to facilitate the good functioning of the Institute and to assign roles and responsibilities to the teaching and nonteaching staff for discharge of duties and responsibilities in a smooth, efficient, and orderly manner:
- (xi) to act as custodian of property and assets and to take such actions as considered necessary and expedient to safeguard the title to ownership and rights over property and assets of the Institute;

- (xii) to take such measures as are necessary in exigencies in matters not herein specifically provided for, in the overall interests of the Institute. Such matters to be reported to the Chairperson of the Board at the earliest;
- (xiii) to continue to exercise, save for the changes (additions and amendments) as brought out in these regulations, all the other functions and powers as already available under the Act and the Rules (as may be amended from time to time) or approved by the Board;
- (xiv) to act as Head of the Department under the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 and exercise all the financial powers as are available to the Department of the Government of India;
- (xv) to act as Head of the Department under the Fundamental Rules and Supplementary Rules and exercise administrative powers as are available to the Department of the Government of India.

(2) Financial Powers:

- (a) to open and operate bank accounts, exercise cheque-signing powers as second signatory and approve credit card facilities for functionaries holding administrative positions, not exceeding rupees ten lakh in all (sub-limit not exceeding rupees three lakh for the Director);
- (b) to approve short-term investments of the Institute (corpus and grant funds) in domestic scheduled banks for a period not more than 365 days and up to a maximum of rupees five crore in accordance with the regulation on investments as approved by the Board;
- (c) to extend financial aid to deserving students through appropriate schemes of fees waiver, scholarships to students, as may be recommended by the relevant committee;
- (d) to extend prizes, awards, and other financial incentives to deserving students through appropriate competitions and schemes, as may be recommended by the relevant committee;
- (e) to extend prizes, awards, and other financial incentives to deserving teaching and non-teaching staff as per norms that may be laid down;
- (f) to authorise expenditure on entertainment and hospitality on visiting dignitaries and other visitors to the Institute;
- (g) to outsource the services required by the Institute as deemed necessary and expedient, in accordance with the General Financial Rules, 2017;
- (h) to write off losses, in accordance with the General Financial Rules, 2017, not exceeding rupees ten lakh in a financial year;
- (i) to approve disposal during a financial year, of surplus, obsolete or unserviceable (beyond economical repair) assets, goods and consumables and those items damaged by force majeure events, whose cumulative book value does not exceed rupees ten lakh, in accordance with the General Financial Rules, 2017;
- (j) to exercise the delegation in vogue in Indian Institute of Management Bangalore (mentor institute), where there is no explicit provision or where no explicit guideline as applicable to the Institute is available, till the time such gap is filled;
- (k) to approve, as one-level higher than the delegated authority, waivers and condonations and accord relaxations and special approvals in exceptions and exigencies as deemed necessary or expedient for the smooth and timely implementation of activities and in the interests of the Institute; the financial implication (if any) of such approvals not exceeding the delegated financial powers of the Director:

Provided that where the delegated authority is the Director himself or herself, such special cases shall require the approval of the Finance, Investment and Audit Committee (as one level higher than the Director);

- (l) to exercise the delegated powers in respect of capital and recurring expenditure as decided by the Board, from time to time.
- **18. Performance objectives for variable pay of Director.-** (1) In accordance with rule 229 (xi) of the General Financial Rules 2017, a Memorandum of Understanding shall be signed annually by the Institute with the Ministry of Education.
 - (2) The MOU shall spell out in clear terms, the annual performance parameters of the Institute, in quantitative and qualitative terms.

- (3) Such performance parameters may suitably draw upon the key result areas as may be identified by the Ministry as well as the performance components representative of customer perspective; innovation and learning perspective; internal business process perspective; and the stakeholder perspective at large.
- (4) The basis for the variable pay of the Director shall comprise the performance objectives in two baskets: (i) as contained in the MOU annually signed by the Institute with the Ministry; and (ii) as may be additionally identified, if felt necessary, by the Board of Governors Nominations Committee.
- (5) In keeping with the growth phases and lifecycle stages of the Institute, the Committee may, in consultation annually with the Director, arrive at the specific performance parameters and their relative weights to be included in each of the two baskets.
- (6) The performance objectives in the MOU shall be as comprehensive and realistic to achieve, as possible. Performance against the MOU targets shall carry at least 80 per cent. weightage.
- (7) The performance objectives in both the baskets shall be approved by the Board, annually.
- (8) On conclusion of the financial year and pursuant to sub-section 4 of section 11 of the Act, the Board of Governors Nominations Committee may review the annual performance achieved by the Director vis-à-vis the performance objectives in each basket, and based thereon, make a recommendation to the Board on the variable pay, pursuant to clause (1) of sub-section 2 of section 11 of the Act.
- (9) The Committee may, if felt necessary, co-opt an external expert with experience in the governance of a reputed higher education institution, while setting the MOU targets and conducting the annual performance-review.
- 19. **Powers and Duties of the Director.-** (1) The Director shall be the Chief Executive Officer of the Institute and shall provide leadership to the Institute.
 - (2) The Director shall be responsible for implementation of the decisions of the Board.
 - (3) The Director shall be the Chairperson of the Academic Council, the principal academic body of the Institute.
 - (4) The Director shall report annually, on the state of affairs of the Institute and other aspects as enunciated in the Act.
 - (5) The performance of the Director shall be reviewed in the context of the achievements of objects of the Institute, in accordance with the provisions of the Act.
- **20.** Regulations for establishment and maintenance of buildings.- (1) The establishment and maintenance of buildings shall be taken up by the Institute under the directions and guidance of the building and works committee constituted by the Board, in accordance with the nature and extent of fixed asset creation.
 - (2) The building and works Committee shall exercise oversight, advise and make recommendations to the Board on such matters as (i) design, engineering, planning, estimating, procurement, tendering and construction activities in the temporary and permanent campus; (ii) appointment of technical consultants including architects and project management consultants, independent technical experts, and construction agencies; and (iii) the progress of activities as per time and cost estimates.
 - (3) The building and works committee shall accord administrative approvals for technical details, specifications, designs, drawings, quantities, and estimates; and sanction expenditure as per the powers delegated by the Board.
 - (4) In pursuance thereof, the establishment and maintenance of buildings comprising technical details, designs, drawings, specifications, quantities, estimates, engineering, procurement and construction shall be in accordance with the detailed project report for the Institute; or as may be conveyed by the Ministry of Education in respect of utilization of grants sanctioned by the Government of India; and as per the budgets approved by the Board. Expenditure sanctioned within the approved budgets shall be in accordance with the delegated powers.
 - (5) Establishment and maintenance of buildings from the resources generated internally shall be in conformity with the powers delegated to accord administrative approval and expenditure sanction.
 - (6) The procedure for establishment and maintenance of buildings shall be in accordance with the guidelines contained in such rules as the General Financial Rules, 2017, manuals such as the manual for procurement of works, manual for maintenance, and manual for procurement of consultancy and other services as may be issued by the Government of India, or its attached or subordinate offices concerned, the National Building Code of India, 2016 for asset and facility management, or as per the procedures of the central public sector enterprise engaged as project management consultant by the Institute.

- 21. Financial accountability of the Institute.- (1) The Institute shall maintain proper accounts including income and expenditure statements, internal audit report and statement audited by internal auditor specifying investments and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form and as per such accounting standard as may be specified by the Government of India.
 - (2) The Institute shall keep proper updated books of account giving a true and fair view of the state of affairs of the Institute and its transactions.
 - (3) The Board shall appoint auditors including the internal auditor to scrutinize the balance sheet and the statement of income and expenditure of the Institute.
 - (4) The Institute shall keep proper updated books of account with respect to: (i) the sums of money received and expended by it; (ii) the assets and liabilities of the Institute and the properties, tangible and intangible, of the Institute.
 - (5) The Board shall constitute a finance, investment and audit committee to exercise oversight and provide expert advice to the Board on the effectiveness of financial management and reporting; accounts and audit; investments; budgeting; internal controls and risk management; compliance with legal and regulatory requirements; and to accord approvals for expenditure above the delegated powers of the Director, as may be decided by the Board.
 - (6) Every year during the month of March, cash flow statement for the subsequent financial year, quarterwise shall be prepared by the Institute and submitted to the finance, investment, and audit committee.
 - (7) Within fifteen days from the end of each quarter, actual cash flow statement of the previous quarter and revised cash flow projections for the next quarter and the rest of the financial year shall be prepared and submitted by the Institute to the finance, investment and audit committee.
 - (8) The cash flow statements shall be prepared in such format as to facilitate the determination of the surplus funds and the nature, extent, and category of deployment thereof.
 - (9) Deposits placed with scheduled commercial banks, meeting the laid-down criteria, shall be in accordance with the per-bank exposure ceiling norms as may be recommended by the finance, investment and audit committee and approved by the Board, as contained in the regulation on investments.
 - (10) In every meeting of the finance, investment and audit committee, the status of surplus funds and investments, including the investments made during the previous quarter, shall be reported.
 - (11) The Director shall constitute an internal audit committee, as per the approval by the Board.
 - (12) A Chief Audit Executive from among the functionaries of the Institute shall be appointed by the Board.
 - (13) The Chief Audit Executive shall facilitate effective internal audit in accordance with the laid down norms of the Institute, extant guidelines of the Ministry of Education and the Act. The Chief Audit Executive shall directly report to the Director in all matters relating to internal audit.
 - (14) The Internal Audit Committee shall meet at least once a quarter, or as frequently as felt necessary, review the internal audit reports, meet with the internal auditors as needed, and initiate suitable proactive or corrective action towards strengthening of the systems and procedures and remediation of non-compliances, if any. An action taken report shall be taken before the finance, investment, and audit committee, in every meeting.
 - (15) The Director's Report attached to every statement of accounts laid before the Board of the Institute shall contain due disclosures as required under the Act.
 - (16) The Institute shall be accountable to various donors and grantee institutions for the proper utilization and reporting against funds sanctioned by them for specific purposes.
 - (17) The Institute shall also be accountable to the Comptroller and Auditor General of India for the conduct of its operations as per guidelines of the Ministry of Education and as applicable to central autonomous bodies.
 - (18) The financial accountability of the Institute shall also extend to ensuring compliance with the various statutory and regulatory requirements.

22. Manner of depositing or investing the moneys credited to the Fund of Institute –

(1) Scope:

The policy shall cover all funds received by the Institute, namely, funds received from the Government, funds received by the Institute from time to time by way of fee and other charges, endowments, scholarships, grants, deposits, gifts, donations, bequests and benefactions.

(2) Guiding Principles and Authorities:

Accounting Standard 13 (Accounting for Investments) of the Institute of Chartered Accountants of India shall be the guiding principle and authority for classification of investment.

- (3) Guidelines for Investment General:
 - (a) The extant guidelines the Ministry of Education of the Government of India that in-turn refer to the guidelines of the Department of Public Enterprises of the Government of India and the Department of Financial Services of the Government of India;
 - (b) Sub-section 5 of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (c) The guidelines of Ministry of Education along with the Department of Education circular dated 8th May 2017 (and its further amendments as the case may be) forming part of these regulations.
- (4) Guidelines for Investment specific to the Institute:

Keeping in view the Government of India guidelines as adapted to the Institute and the nature and extent of operations of the Institute, surplus funds shall be invested as follows, namely:-

- (a) the guiding principles for any investment shall be safety, liquidity, and return, in that order. While making any investment, the Institute shall ensure that all statutory guidelines are fully complied with;
- (b) safety of deposits being the prime driving force, large banks with very high net worth shall be preferred for investment, as long as the returns are not considered sub-optimal;
- (c) as regards private sector banks, though the rate offered may be higher than public sector banks, decision to place deposits with them should be based on periodic analysis of their published accounts and reliable market reports so that the objectives of safety, liquidity and return are met, in that order;
- (d) mutual Funds may not be considered as an option for investment by the Institute at the present juncture;
- (e) funds comprising resources generated internally by the Institute may be considered for investment on short-term or long-term as deemed fit by the Institute, but funds from the Government be best utilized for the purposes for which they are granted, and any temporarily unutilized sums be invested for short-term only;
- (f) when investing (for short-term) the unutilized grants obtained from the Ministry of Education, the Institute can continue to consider the total sum available as a whole, without any specific differentiation between capital and revenue categories;
- (g) term deposits shall be made for a maximum period of three years and all other investments (in eligible instruments) shall be made for a maximum period of one year;
- (h) every year during the month of March, cash flow statement for the subsequent financial year, quarter-wise shall be prepared by the Institute and submitted to the finance, investment, and audit committee;
- (i) within fifteen days from the end of each quarter, actual cash flow statement of the previous quarter and revised cash flow projections for the next quarter and the rest of the financial year shall be prepared and submitted by the Institute to the finance, investment and audit committee;
- (j) the cash flow statements shall be prepared in such format that they help in determining the surplus funds and the nature, extent, and category of deployment thereof;
- (k) deposits to be placed with scheduled commercial banks, meeting the prescribed criteria, shall adhere to the per-bank exposure ceiling norms as may be recommended by the finance investment and audit committee and approved by the Board, from time to time;

(1) in every meeting of the finance, investment and audit committee, the status of surplus funds and investments (including the investments made during the previous quarter) shall be reported. Since time is of essence, investment decisions taken by the finance, investment and audit committee (as recorded by the member-convener in consultation with the Chairperson of the Committee) should be given effect at the earliest opportunity after conclusion of the meeting, without waiting for formal approval of minutes by the members.

(5) Delegation of Powers:

The Director and the finance, investment and audit committee shall exercise such delegation of powers on investments, advances, and management of funds collected in the form of fees and other charges, grants, grants-in-aid, deposits, gifts, donations, bequests, benefactions and transfers, as may be decided by the Board.

(6) Review:

- (a) the regulations for investments shall be reviewed by the finance, investment, and audit committee from time to time for any course-correction, borne out of experience gained;
- (b) during the currency of the regulations, there shall be no deviations to guidelines and prescriptions. However, in exceptional circumstances, if any deviations must be made in the interests of the Institute, then the same shall be effected, with the prior approval of the Board and the regulations shall stand amended to that extent, from the date of such approval.
- **23. Manner of application of the Fund of the Institute.-** (1) The Institute may receive or generate funds by way of internal resources such as fees, royalty and other charges for the academic, research and project activities as well as knowledge generation; by way of subventions or loans from the governments; and by way of gifts, donations, bequests, benefactions, endowments and transfers from the individuals, industry or institutions.
 - (2) Funds shall be utilized by the Institute for the purpose for which they are received.
 - (3) The Institute may create a corpus fund for long-term growth and sustainability of the Institute; and also create endowment and other funds for specific purposes to which allocations may be made.
 - (4) Application of funds shall be in accordance with the approvals of the Board.
 - (5) Surplus or unutilized funds of the Institute may be invested in accordance with the regulation on investments.
- **Qualifications, experience, and the manner of selection of the independent agency or group of experts for review of performance of the Institute.-** (1) The modalities of selection of the independent agency or group of experts for review of performance of the Institute shall be formulated by the Board of Governors Nominations Committee.
 - (2) Such modalities shall, *inter alia*, factor in the following aspects, namely:-
 - (a) the independent agency considered for review of performance of the Institute shall be an experienced and reputed business or management consulting firm with base in India;
 - (b) in case, a group of experts is considered, it shall comprise eminent persons with distinction and rich experience in the field of education, industry, commerce, science, technology, management, social service or public administration:

Provided that at least one member of the group shall be a woman;

- (c) whether the selected entity is an agency or group of experts, it shall have experience in visioning, policy formulation, governance and performance measurement of renowned higher educational institutions in India or abroad and it shall be thorough with the performance indicators, innovations and standards of global excellence in management education, management research and allied areas of knowledge;
- (d) in the case of an agency, selection shall be made by following the process of procurement of "Consulting Services" as defined in the General Financial Rules, 2017.

25. Powers and functions of the Academic Council.-

(1) The Director of the Institute, who shall be the Chairperson of the Academic Council; Dean (Academics and Research), Dean (Administration and Student Affairs), and all faculty members of the Institute shall be members of the Academic Council, till the composition is altered by the Board, while duly observing the provisions of the Act.

- (2) The Academic Council shall specify:
 - (a) the criteria and process for admission to courses or programs of study offered by the Institute;
 - (b) the academic content of programs and courses of study and undertake modifications therein;
 - (c) the academic calendar, guidelines for conduct of examination and recommend grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles.
- (3) The Academic Council shall make the ordinances that provide for:
 - (a) the admission of students to the Institute;
 - (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas, certificates, and other academic titles of the Institute;
 - (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma, certificate, and other academic-title courses and to the examinations of the Institute, and shall be eligible for such academic titles;
 - (d) the conditions of award of the fellowships, scholarships, exhibitions, medals, and prizes;
 - (e) the conditions and model of appointment and duties of examining bodies, examiners, and moderators;
 - (f) the conduct of examinations;
 - (g) the maintenance of discipline among the students of the Institute; and
 - (h) any other matter which is connected with, incidental to or having a bearing on the specifications contained hereinabove.
- (4) The Academic Council shall also perform the following functions, namely:-
 - (a) to recommend the establishment of new campus within or outside the country;
 - (b) to recommend the closure of existing academic programs;
 - (c) to recommend the establishment or closure of new centers for such activities as teaching, training, research, incubation or entrepreneurial learning and development, in India or abroad;
 - (d) to recommend establishment and maintenance of academic and research collaborations between the Institute and other reputed universities and business schools in India and abroad;
 - (e) to participate in the formulation and modification of the vision and mission of the Institute as may be required from time to time and make suggestions to the Board;
 - (f) to review the activities of the long and short-duration programs, centers, activities, and areas of the Institute at regular intervals and suggest improvements wherever necessary;
 - (g) to review the progress of research at the Institute and make suggestions to the Board regarding the institution and modification of incentives and rewards for high-quality research;
 - (h) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred on it by the Board, from time to time.
- **Manner of formation of Department of Teaching.-** (1) With the corporate management and development management ecosystem outside the Institute undergoing changes from time to time, it becomes necessary that the academic and research environment inside the Institute remains in step, and accordingly, there may be a need to form new academic entities such as schools, departments, areas, centers and cells at the Institute, as also rename the existing ones; merge, demerge or dissolve them.
 - (2) Such a requirement may also arise as a part of the implementation of the vision, mission, and growth plans of the Institute, from time to time.
 - (3) Some academic entities may have groups of faculty attached or affiliated to them full-time. Some entities may not have any full-time faculty, but they may have faculty attached to other academic entities who come together as members of that academic entity to pursue an activity or domain specialization of common interest.
 - (4) The process to be followed for the formation, renaming, merger or demerger and dissolution of academic entities shall be as under:
 - (a) as and when a need is felt for the formation, renaming, merger or demerger and dissolution of an
 entity, the Director may appoint a committee to study the same, keeping in mind, the changing
 environment, external and internal to the Institute;
 - (b) the Academic Council shall examine the report submitted by the cited committee and make a recommendation to the Vision, Innovation and Strategic Transformation Advisory Committee of the Board;

- (c) the said committee in turn, after review, may make its recommendation to the Board;
- (d) the Board may take appropriate decisions on the recommendations of the said committee.

27. Constitution and duties and functions of committees and other authorities.-

The Board may constitute the following Board Sub-Committees with terms of reference, as follows:

- (1) Terms of reference of the Research and Academic Advisory Committee (RAAC) shall include advising and making policy recommendations to the Board on such matters as:
 - (a) improvements in the course and curriculum design and development; content and contemporaneousness; pedagogy and delivery of academic and work programs; research relevance and rigor;
 - (b) aligning the academic and research activities of the Institute with the parameters contained in the National Institutional Ranking Framework of the Ministry of Education, which include teaching, learning and resources; research and professional practice; outreach and inclusivity; perception and graduation outcomes;
 - (c) improvements in the Institute's academic standards, research potential, faculty capacities, facilities and amenities, internationalization, industry-interface, intellectual property management, accreditation, and ranking;
 - (d) the Institute constantly reinventing itself, seeking higher targets and scaling newer benchmarks in value-addition and stakeholder-satisfaction through well thought-out academic and research programs;
 - (e) productivity norms for the research projects undertaken by the Institute and performance indicators and internal standards including the nature of innovations in teaching, research, and application of knowledge;
 - (f) outcome-based assessment of the research being undertaken by the Institute, namely elaboration and analysis of the research conducted and the qualitative and quantitative outcomes of such research along with its impact factor and social outcomes.
- (2) Terms of reference of the Vision, Innovation and Strategic Transformation Advisory Committee (VISTAC) shall include advising and making policy recommendations to the Board on such matters as:
 - (a) envisioning a positive positioning of the Institute in a sustained manner, in the minds of the various stakeholders and public at large;
 - (b) vision, mission, long-term strategy and rolling plans for the Institute with target years as may be decided by the Board to help the Institute progress towards attaining standards of global excellence in management education, management research and allied areas of knowledge, as enshrined in the Act;
 - (c) the Institute being able to contribute to policy, strategy, regulatory and governance reforms, performance monitoring, management and evaluation, teaching, training, research, incubation, entrepreneurial learning and development and capacity building for the government and industry, at the national and regional level;
 - (d) the Institute digitally transforming its teaching-learning processes holistically to equip itself with the wherewithal to offer creative and innovative online programs of topical interest to global audience;
 - (e) the Institute evolving as a reliable source and trust-worthy think-tank in corporate management and development management;
 - (f) identification of thrust areas and establishment of specialized academic entities for academics, research, and allied areas of knowledge such as departments, schools, centers, areas, and cells;
 - (g) setting up campuses or centers of the Institute in India and abroad;
 - (h) roadmap to attain self-sufficiency and sustainability.
- (3) Terms of reference of the Human Resources Development Committee (HRDC) shall include advising and making policy recommendations to the Board on such matters as:
 - (a) human resource development policies that are aligned with the Institute's vision and mission, values and growth plans;

- (b) policy parameters for recruitment, retention, recognition, and rewards such as incentivization and promotions and compensation for teaching and non-teaching staff;
- (c) faculty development and evaluation committee that carries out an independent evaluation of the performance of the faculty with respect to the Board-approved work norms;
- (d) service rules for teaching and non-teaching staff;
- (e) grievance redress mechanism for teaching and non-teaching staff;
- (f) learning and development interventions for teaching and non-teaching staff.
- (4) Terms of reference of the Board of Governors Nominations Committee (BoGNC) shall include advising and making recommendations to the Board on such matters as:
 - (a) nomination of eminent persons to the Board in accordance with the Act and the Rules;
 - (b) co-option of Indian Institutes of Management Alumni to the Board in accordance with the Act and the Rules;
 - (c) the modalities of conduct of the annual review of the performance of the Director, in the context of the achievements of the objects of the Institute and making recommendation to the Board on the Variable Pay to the Director;
 - (d) qualifications, experience, and the manner of selection of the independent agency or group of experts for review of performance of the Institute.
- (5) Terms of reference of the Finance, Investment and Audit Committee (FIAC) shall include but not limited to the following, namely:-
 - (a) exercising oversight, advising, and making recommendations to the Board on such matters as financial management and reporting, accounts, audit (auditors and Internal Audit Committee), investments, budgeting, internal controls and risk management, compliance with legal and regulatory requirements;
 - (b) according approvals for expenditure as per the powers delegated by the Board.
- (6) Terms of reference of the Building and Works Committee (BWC) shall include but not limited to the following, namely:-
 - (a) exercising oversight, advising and making recommendations to the Board on such matters as design, engineering, planning, estimating, procurement, tendering and construction activities in the temporary and new campus, technical consultants including architects and project management consultants, contractors and independent technical experts, monitoring the progress of activities as per time and cost estimates;
 - (b) according administrative approvals for technical details, specifications, designs, drawings, estimates and quantities and expenditure sanction as per powers delegated by the Board.
- (7) The Board may constitute any other sub-committee, with such terms and conditions as deemed fit, for furthering the growth, development, and good functioning of the Institute.
- (8) General terms and conditions applicable to all committees shall be as follows, namely:-
 - (a) the composition of the committees shall be as may be decided by the Board;
 - (b) where not a member, the Director shall be a permanent invitee to the committees unless the matters of discussion pertain to the Director himself or herself;
 - (c) domain-specific committees such as the building and works committee, finance, investment and audit committee and such other committees as may be decided by the Board, shall each have at least two members of the Board, of whom, one shall be nominated as the Chairperson of the committee. The committees may also have domain experts as members. The Director shall be a member of all domain-specific committees;
 - (d) the Chairpersons of the committees may invite other experts, to attend meetings of the committees, to avail the benefit of their advice and suggestions;
 - the quorum for committee meetings (including the Chairperson) shall be two-thirds of the strength of members actually present on the committee as on date of summoning the meeting, rounded off to the next higher integer:

Provided that the quorum for adoption of any resolution, making a recommendation or granting approval for any item by circulation shall be one member higher than the number required for the physical meetings;

- (f) the committees may meet physically or virtually as frequently as necessary, but at least once every quarter;
- (g) there may be a joint sitting of the relevant committees at least once every six months, to exchange insights and share experiences for convergence of thoughts and cross-fertilization of ideas:
- (h) members of the committees shall be eligible for the same facilities, amenities, and logistics arrangements for attending the meetings as are applicable when they attend the meetings of the Board, as specified in these regulations;
- (i) the recommendations of the committees shall be brought before the Board, at least once in six months, for discussions, deliberations, and decisions;
- (j) the Secretary of the Board or such other officer of the Institute as may be identified by the Chairperson of the Board in consultation with the Director, shall extend administrative assistance and facilitate the functioning of the committees.

28. Quorum and the procedure to be followed in the conduct of business of committees.-

- (1) The Chairperson of the committee shall summon the meetings of the committee, which shall ordinarily meet once every three months. The Chairperson shall decide the date of the meeting, its location and fix the agenda.
- (2) Normally, not less than fifteen days' notice shall be given for every meeting of the committee and a copy of the proceedings of every meeting shall be furnished to the Chairperson and upon his clearance, to the members, as soon as practicable after the meeting.
- (3) Every meeting of the committee shall be presided over by the Chairperson and, in his or her absence from any meeting, by a member chosen from amongst themselves by the members present at the meeting.
- (4) The Chairperson can call an extraordinary meeting at a short notice in case of emergency or to consider urgent, special issues.
- (5) The quorum for committee meetings (including the Chairperson) shall be two-thirds of the strength of members actually present on the committee as on date of summoning the meeting, rounded off to the next higher integer.
- (6) Quorum shall include participation by physical presence, or via audio or video link.
- (7) If a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on such other day and such other time and place as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the time appointed for holding a meeting, the members present shall be the quorum.
- (8) The quorum for adoption of any resolution, making a recommendation or granting approval for any item by circulation shall be one member higher than the number required for the physical meetings.
- (9) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (10) Each member of the committee including the Chairperson shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Committee, the Chairperson shall in addition have and exercise a casting vote.
- (11) The decision of the Chairperson in regard to all questions of procedure shall be final.

Prof. M. CHANDRASEKHAR, Director [ADVT.-III/4/Exty./546/2020-21]